يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (سورة النساء:1)

पारिवारिक मामले
कुरान और हदीस की रोशनी में

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी
Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi
www.najeebqasmi.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (سورة النساء 1)

पारिवारिक मामले

कुरान और हदीस की रोशनी में

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلَى النَّبِىِّ الْكَرِيم وَعَلىٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। कुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके कुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की कुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूटूयब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पुन न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में ख़ुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख़्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

रोज़ मर्रा इस्तेमाल में आने वाले खान्दानी मसायल से मुतअल्लिक़ मज़ामीन को (वालिदैन की फरमाबरदारी, मियां बीवी की जिम्मेदारियां, बेटी अल्लाह की रहमत, अक़ीक़ेह के मसायल, बच्चे की पैदाइश के वक़्त कान में अज़ान और इक़ामत, औरतों के खुसूसी मसाइल, महरम का ब्यान, विरासत और उसके मसायल, निकाह एक नेमत, तलाक़ एक ज़रूरत और इद्दत हूकूमे इलाही और इस्लाम और ज़ब्ते विलादत) किताबी शकल (पारिवारिक मामले कुरान और हदीस की रोशनी में) में जमा कर दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम हो सके।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को कुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی
مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No..........　　　　　　　　　　Date:..... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کر کے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔
ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرا دیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابو القاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دار العلوم دیوبند
۳/۶/۱۴۳۷ھ

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگر چہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)
و صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سماگئی ہیں۔ اس نے "گاگر میں ساگر" اور "کوزے میں دریا" کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنادیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل وابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا انگیز مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل وذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دار العلوم دیو بند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ "دین اسلام" اور "حج مبرور" اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیہ تبریک وتشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

वालिदैन की फरमांबरदारी

क़ुरान व हदीस में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की खुसूसी ताकीद की गई है। अल्लाह तआला ने बहुत सी जगहों पर अपनी तौहीद व इबादत का हुकुम देने के साथ वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करने का हुकुम दिया है, जिससे वालिदैन की इताअत, उनकी खिदमत और उनके अदब व एहतेराम की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। अहादीस में भी वालिदैन की फमांबरदारी की खास अहमियत व ताकीद और उसकी फज़ीलत बयान की गई है। अल्लाह तआला हम सबको वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करने वाला बनाए, उनकी फरमांबरदारी करने वाला बनाए उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला बनाए, आमीन।

आयाते कुरानिया

“और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुकुम दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और मा बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौज़ूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डाट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतेराम से बातचीत करना और आज़िज़ी व मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ो का बाज़ू पस्त रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार! उनपर वैसा ही रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है”। (सूरह बनी इसराइल 23, 24)

जहां अल्लाह तआला ने अपनी इबादत करने का हुकुम दिया है वहीं वालिदैन के साथ इहसान करने का भी हुकुम दिया है। एक दूसरी जगह अपने शुक्र बजा लाने के साथ वालिदैन के वास्ते भी शुक्र का हुकुम दिया। अल्लाहु अकबर ज़रा गौर करें कि मां बाप का मक़ाम व मरतबा क्या है, तौहीद व इबादत के बाद इताअत व खिदमते वालिदैन ज़रूरी क़रार दिया गया, क्योंकि जहां इंसानी वज़ूद का हक़ीक़ी सबब अल्लाह है तो वहीं ज़ाहिरी सबब वालिदैन। इससे यह भी मालूम हुआ कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। (बुखारी)

मां बाप की नाफरमानी तो बहुत दूर नाराज़गी व नापसंदीदगी के इज़हार और झिड़कने से भी रोका गया है और अदब के साथ नर्म गुफतगू का हुकुम दिया गया है, साथ ही साथ बाज़ुए ज़िल्लत पस्त करते हुए तवाज़ो व इंकिसारी और शफक़त के साथ बरताव का हुकुम होता है और पूरी ज़िन्दगी वालिदैन के लिए दुआ करने का हुकुम उनकी अहमियत को दोबाला करता है। "**और तुम सब अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और मा बाप के साथ नेक बरताव करो।**" (सूरह नीसा 36)

"**हमने हर इसान को अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की नसीहत की है।**" (सूरह अंकबूत 8)

अहादीसे शरीफा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की फरमांबरदारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। (बुखारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं अल्लाह तआला से अजर की उम्मीद के साथ आप के हाथ पर हिजरत और जिहाद करने के लिए बैअत करना चाहता हूं। रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे मां बाप में से कोई ज़िन्दा है? उस शख्स ने कहा (अलहमुद लिल्लाह) दोनों ज़िन्दा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा क्या तू वाकई अल्लाह तआला से अजरे अज़ीम का तालिब है? उसने कहा हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के पास जा और उनकी खिदमत कर। (मुस्लिम)

एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उस शख्स ने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा बाप। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचे तुम्हें इख्तियार है चाहे (उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के) उस दरवाज़े को बरबाद कर दो या (उसकी फरमांबरदारी और उसको राज़ी रख कर) उस दरवाजे ही हिफाज़त करो। (तिर्मिज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह तआला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। (तिर्मिज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसकी उम्र दराज़ की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करे और रिशतेदारों के साथ सिलारहमी करे। (मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तआला उसकी उम्र में इज़ाफा फरमाएंगे। (मुस्तदरक हाकिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह शख्स ज़लील व ख्वार हो, ज़लील व ख्वार हो, ज़लील व ख्वार हो। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह! कौन ज़लील व ख्वार हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह शख्स जो अपने मां बाप में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर (उनकी खिदमत के ज़रिये) जन्नत में दाखिल न हो। (मुस्लिम)
क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह तआला की नाराज़गी का सबब बनती है, लिहाज़ा हमें वालिदैन की इताअत और फरमांबरदारी में कोताही नहीं करनी चाहिए, खास कर जब वालिदैन या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें डांट डपट करना, हत्ताकि उनको उफ तक नहीं कहना चाहिए, अदब व एहतेराम और मोहब्बत व खुलूस के साथ उनकी खिदमत करनी चाहिए। मुमकिन है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी कुछ बातें या आमाल आपको पसंद न आऐं, आप उसपर सब्र करें, अल्लाह तआला इस सब्र करने पर भी अजरे अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह।

दौराने हयात हुक़ूक़

उनका अदब व एहतेराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी फरमांबरदारी करना उनकी खिदमत करना, उनको जहां तक हो सके आराम पहुंचाना, उनकी ज़रूरीयात पूरी करना, थोड़े थोड़े वक़्त में उनसे मुलाक़ात करना।

वफात के बाद हुक़ूक़

उनके लिए अल्लाह तआला से माफी और रहमत की दुआएं करना। उनकी जानिब से ऐसे आमाल करना जिनका सवाब उन तक पहुंचे। उनके रिशतेदार, दोस्त व मुतअल्लिक़ीन की इज़्ज़त करना। उनके रिशतेदार, दोस्त और मुतअल्लिक़ीन की जहां तक हो सके मदद करना। उनकी अमानत व क़र्ज़ अदा करना। उनकी जाएज़ वसीयत पर अमल करना। कभी कभी उनकी कब्र पर जाना।

नोट - वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वह औलाद के दरमियान बराबरी क़ायम रखें और उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करें। आम तौर पर गैर शादी शुदा औलाद से मोहब्बत कुछ ज़्यादा हो जाती है जिस पर पकड़ नहीं है, लेकिन बड़ी औलाद के मुक़ाबले में छोटी औलाद को मामलात में तरजीह देना मुनासिब नहीं है जिसकी वजह से घरेलू मसाइल पैदा होते हैं, लिहाज़ा वालिदैन को जहां तक हो सकेऔलाद के दरमियान बराबरी का मामला करना चाहिए। अगर औलाद घर वगैरह के खर्च के लिए बाप को रक़म देती है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह तआला हमें अपने वालिदैन की फरमांबरदारी करने वाला बनाए और हमारी औलाद को भी इन हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला बनाए, आमीन।

मियां बीवी की जिम्मेदारियां

हक़ के मानी

हक़ के मानी साबित होने यानी वाजिब होने के हैं, उसकी जमा हुक़ूक़ आती है जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है "उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो यह लोग ईमान नह लाऐंगे।" (सूरह यासीन 7) हक़ बातिल के मुक़ाबला में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान "और इलाम कर दो कि हक़ और बातिल मिट गया यक़ीनन बातिल को मिटना ही था।" (सूरह इसरा 81)

हुक़ूक़ की अदाएगी

शरीअते इस्लामिया ने हर उस शख्स को इस बात पर मुतवज्जह किया है कि वह अपने फराइज अदा करे, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीक़ा पर अंजाम दे और लोगों के हुक़ूक़ की पूरी अदाएगी करे। शरीअते इस्लामिया ने हर उस शख्स को मुकल्लफ बनाया है कि वह अल्लाह के साथ बन्दों के हुक़ूक़ की पूरी तौर पर अदाएगी करे हत्ताकि बाज़ वजुह से हुक़ूकुल इबाद को ज़्यादा एहतेमाम से अदा करने की तालीम दी गई।

आज हम दूसरों के हुक़ूक़ तो अदा नहीं करते अलबत्ता अपने हुक़ूक़ का झंडा उठाए रहते हैं। दूसरों के हुक़ूक़ की अदाएगी की कोई फिक्र नहीं करते हैं, अपने हुक़ूक़ को हासिल करने के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं, तहरीकें चलाई जा रही हैं, मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं, हड़ताल की जा रही है, हुक़ूक़ के नाम से अंजूमनें और तंजिमें बनाई जा रही हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी अंजूमनें या तहरीकें या कौशिशें

मौज़ूद नहीं है कि जिनमें यह तालीम दी जाए कि अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियां और दूसरों के हुक़ूक़ जो हमारे जिम्मे हैं वह हम कैसे अदा करें? शरीअते इस्लामिया का असल मुतालबा भी यही है कि हममें से हर एक अपनी जिम्मेदारियों यानी दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने की ज़्यादा कोशिश करे।

मियां बीवी के आपसी तअल्लुकात में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा इख्तियार किया है कि दोनों को उनके फराइज यानी जिम्मेदारियां बता दें। शौहर को बता दिया कि तुम्हारे फराइज और जिम्मेदारियां क्या हैं और बीवी को बता दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हर एक अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करे। ज़िन्दगी की गाड़ी इसी तरह चलती है कि दोनों अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहें। दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने की फिक्र अपने हुक़ूक़ हासिल करने की फिक्र से ज़्यादा हो। अगर यह जज़्बा पैदा हो जाए तो फिर ज़िन्दगी बहुत उमदा खुशगवार हो जाती है।

मियां बीवी

दो अजनबी मर्द व औरत के दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता उसी वक़्त क़ायम हो सकता है जबकि दोनों के दरमियान शरई निकाह अमल में आए। निकाहे शरई के बाद दो अजनबी मर्द व औरत रफीके हयात बन जाते हैं, एक दूसरे के रंज व खुशी, तकलिफ व राहत और सेहत व बीमारी गरज़ ये कि ज़िन्दगी के हर गोशा में शरीक हो जाते हैं। अकदे निकाह को क़ुरान करीम में मिसाके गलीज़ का नाम दिया गया है यानी निहायत बज़बूत रिश्ता। निकाह की

वजह से बेशुमार हराम काम एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं यहां तक कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में एक दूसरे को लिबास से ताबीर किया है यानी शौहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास की तरह है। शरई निकाह के बाद जब आदमी शौहर और औरत बीवी बन जाती है तो एक दूसरे का जिस्मानी और रूहानी तौर पर लुत्फ अंदोज हो जाना जाएज़ हो जाता है और एक दूसरे के जिम्मे जिस्मानी और रूहानी हुक़ूक़ वाजिब हो जाते हैं। शरई अहकाम की पाबन्दी करते हुए शौहर और बीवी का जिस्मानी तौर पर लुत्फ अंदोज होना नीज़ एक दूसरे के हुक़ूक़ की अदाएगी करना यह सब शरीअते इस्लामिया का हिस्सा है और उन पर भी सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह।

निकाह के दो अहम मक़सद

अल्लाह तआला ने कुरान करीम में निकाह के मकासिद में से दो अहम मक़सद नीचे की आयात में लिखे हैं।
"और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिंस से बीवियां पैदा कीं ताकि तुम उनसे आराम पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी क़ायम करदी, यक़ीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत सी निशानियां हैं।" (सूरह रूम 21) गरज़ ये कि इस आयत में निकाह के दो अहम मकासिद बयान किए गए।
1) मियां बीवी को एक दूसरे से कल्बी व जिस्मानी सुकून हासिल होता है।

2) मियां बीवी के दरमियान एक ऐसी मोहब्बत, उलफत, तअल्लुक़, रिश्ता और हमदर्दी पैदा हो जाती है जो दुनिया में किसी भी दो शख्सियतों के दरमियान नहीं होती।

मियां बीवी की जिम्मेदारियों की तीन किसमें

इंसान सिर्फ इंफरादी ज़िन्दगी नहीं रखता बल्कि वह फतरतन मुआशरती मिज़ाज रखने वाली मख्लूक है, उसका वज़ूद खानदान के एक रूकन और मुआशरे के एक फर्द की हैसियत से ही पाया जाता है। मुआशरा और खानदान की तशकील में बुनियादी एकाई मियां बीवी हैं जिनके एक दूसरे पर कुछ हुक़ूक़ हैं।

1) शौहर की जिम्मेदारियां यानी बीवी के हुक़ूक़ शौहर पर।

2) बीवी की जिम्मेदारियां यानी शौहर के हुक़ूक़ पर।

3) दोनों की मुशतरका जिम्मेदारियां यानी मुशतरका हुक़ूक़।

शौहर की जिम्मेदारियां यानी बीवी के हुक़ूक़ शौहर पर

अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "औरतों का हक़ है जैसा कि (मर्द का) औरतों पर हक़ है, मारूफ तरीक़ा पर।" (सूरह बक़रह 228) इस आयत में मियां बीवी के तअल्लुक़ात का ऐसा जामि दस्तुर पेश किया गया है जिससे बेहतर कोई दस्तुर नहीं हो सकता और अगर इस जामि हिदायत की रौशनी में अज़वाजी ज़िन्दगी गुजारी जाए तो इस रिश्ता में कभी भी तल्खी और कड़वाहट पैदा नह होगी, इंशाअल्लाह। वाकई यह क़ुरान करीम का इजाज है कि अल्फाज़ के इख्तिसार के बावज़ूद मानी का समुन्द्र में समो दिया गया है। यह आयत बता रही है कि बीवी को महज नौकरानी और खादमा मत समझना बल्कि यह याद रखना कि उसके भी कुछ

हुक़ूक़ हैं जिनकी पासदारी शरीयत में ज़रूरी है। इन हुक़ूक़ में जहां नान व नफ्का और रिहाईश का इंतिज़ाम शामिल है वहीं उसकी दिल दारी और राहत रिसानी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुममें सबसे अच्छा आदमी वह है जो अपने घर वालों (बीवी बच्चों) की नज़र में अच्छा हो। और ज़ाहिर है कि उनकी नज़र में अच्छा वही होगा जो उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला हो। दूसरी तरफ इस आयत में बीवी को भी आगाह किया कि उसपर भी हुक़ूक़ की अदाएगी लाज़िम है। कोई बीवी उस वक़्त तक पसंदीदा नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने शौहर की ताबिदार और खिदमत गुज़ार हों और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हों और ऐसी औरतों की मुजम्मत की गई है जो शौहरों की नाफरमानी करने वाली हों।

शौहर की चद अहम जिम्मेदारियां हसबे जैल हैं

1) मुकम्मल मुहर की अदाएगी- अल्लाह तआला का इरशाद है "औरतों को उनका महर राजी व खुशी से अदा कर दो। निकाह के वक़्त महर की ताईन और शबे जुफाफ से पहले उसकी अदाएगी होनी चाहिए, अगरचे तरफैन के इत्तेफाक़ से महर की अदाएगी को बाद में भी अदा कर सकते हैं। महर सिर्फ औरत का हक़ है, लिहाज़ा शौहर या उसके वालिदैन या भाई बहन के लिए महर की रकम में से कुछ भी लेना जाएज़ नहीं है।

(वज़ाहत) शरीअत ने कोई भी खर्च औरतों पर नहीं रखा है, शादी से पहले उसके तमाम खर्च वालिद के जिम्मा हैं और शादी के बाद औरत के खाने, पीने, रहने, सोने और लिबास के तमाम खर्च शौहर

के जिम्मा हैं, लिहाज़ा महर की रकम औरत खालिस मिल्कियत है उसको जहां चाहे और जैसे चाहे इस्तमाल करे, शौहर या वालिद मशविरा दे सकते हैं मगर उस रकम में खर्च करने का पूरा इख्तियार सिर्फ औरत को है, इसी तरह अगर औरत को कोई चीज विरासत ेंम मिली है तो वह औरत की मिल्कियत होगी, वालिद या शौहर को वह रकम या जाइदाद लेने का कोई हक़ नहीं है।

2) बीवी के तमाम खर्चे- अल्लाह तआला का इरशाद है ‘‘बच्चों के बाप (शौहर) पर औरतों (बीवी) का खाना और कपड़ा लाज़िम है दस्तुर के मुताबिक़।“ (सूरह बक़रह 233)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के सिलसिला में अल्लाह तआला से डरो क्योंकि अल्लाह तआला की अमान में तुमने उनको लिया है। अल्लाह तआला के हुकुम की वजह से उनकी शर्मगाहों को तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। दस्तुर के मुताबिक़ उनके पूरे खाने पीने का खर्च और कपड़ों का खर्चा तुम्हारे जिम्मा है। (मुस्लिम)

3) बीवी के लिए रिहाईश का इंतिज़ाम- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ‘‘तुम अपनी ताकत के मुताबिक़ जहां तुम रहते हो वहां उन औरतों को रखो।“ (सूरह तलाक़ 6) इस आयत में मुतल्लक़ा औरतों का हुकुम बयान किया जा रहा है कि इद्दत के दौरान उनकी रिहाईश का इंतिज़ाम भी शौहर के जिम्मा है। जब शरीअत नेक मुतल्लक़ा औरतों की रिहाईश का इंतिज़ाम शौहर के जिम्मा रखा है तो हसबे इस्तिताअत बीवी की मुनासिब रिहाईश की ज़िम्मेदारी बदर्जा औला शौहर के जिम्मा होगी।

4) बीवी के साथ हुसने मुआशिरत- शौहर को चाहिए कि वह बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। अल्लाह तआला फरमान "उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ यानी औरतों के साथ गूफतगु और मामलात में हूसने इखलाक के साथ मामला रखोगो तुम उन्हें नापसंद करो लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह तआला उसमें बहुत ही भलाई करदे।" (सूरह निसा 19)

शौहर की चैथी ज़िम्मेदारी "बीवी के साथ हूसने मुआशिरत" बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, उसकी अदाएगी के मुख्तलिफ तरीके हसबे जैल हैं।

1) हसबे इस्तिताअत बीवी और बच्चों पर खर्च करने में फराख दिली से काम लिना चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह तआला से अजर की उम्मीद के साथ अपने घर वालों पर खर्च करता है तोवह सदका होगा यानी अल्लाह तआला उसपर अजर अता फरमाएगा।

2) बीवी से मशविरा- इसमें कोई शक नहीं है कि घर के इंतिज़ाम को चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द के जिम्मा रखी गई है जैसा कि क़ुरान करीम में मर्द के कौवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यानी मर्द औरतों पर निगहबान और मुंतजिम हैं। लेकिन हूसने मुआशिरत के तौर पर औरत से भी घर के निज़ाम को चलाने के लिए मशविरा लेना चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी बेटियों के रिशतें के लिए अपनी बीवी से मशविरा किया करो।

3) बीवी की बाज़ कमजोरियों से चशम पोशी करें, खास तौर पर जबकि दूसरी खुबियां व महासिन उनके अंदर मौज़ूद हों, याद रखें कि

अल्लाह तआला ने आम तौर हर औरत में कुछ नह कुछ खुबियां ज़रूरी रखी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर औरत की कोई बात या अमल नापसंद आए तो मर्द औरत पर गुस्सा नह करे क्योंकि उसके अंदर दूसरी खुबियां मौज़ूद हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। (मुस्लिम)

4) मर्द बीवी के सामने अपनी जात को काबिले तवज्जह यानीस्मार्ट बना कर रखे क्योंकि तुम जिस तरह अपनी बीवी को खुबसूरत देखना चाहते हो वह भी तुम्हें अच्छा देखना चाहती है। सहाबी रसूल व मुफस्सीरे क़ुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सजता हूं जैसा वह मेरे लिए जेब व जिनत इख्तियार करती है। (तफसीरे क़ुर्तुबी)

5) घर के काम व काज में औरत की मदद की जाए, खासकर जब वह बीमार हो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के तमाम काम कर लिया करते थे, झाड़ु भी खुद लगा लिया करते थे, कपड़ों में पैवंद भी खुद लगाया करते थे और अपने जुतों की मरम्मत भी खुद कर लिया करते थे। (बुखारी)

बीवी की जिम्मेदारियां यानी शौहर के हुक़ूक़ बीवी पर

1) शौहर की इताअत- अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह तआला ने एक दूसरे पर फज़ीलत दी है और इस वजह से कि मर्द ने अपने माल खर्च किए हैं।" (सूरह निसा 34) जो औरतें नेक हैं वह अपने शौहरों का कहना मानती हैं और अल्लाह के हुकुम के मुवाफिक नेक

औरतें शौहर की अदमे मौज़ूदगी में अपने नफस और शौहर के माल की हिफाज़त करती हैं यानी अपने नफस और शौहर के माल में किसी किसम की ख्यानत नहीं करती हैं।
इस आयत में अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फौकियत व फज़ीलत देने की दो वजह ज़िक्र फरमाई हैं।
1) मर्द व औरत व सारी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फज़ीलत दी है।
2) मर्द अपने और बीवी व बच्चों के तमाम खर्चे बर्दाशत करता है।
इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया "मर्द को औरतों पर फज़ीलत हासिल है।: (सूरह बक़रह 228)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर औरत ने (खास तौर पर) पांच नमाजों की पाबंदी की, रमज़ान के महीने के रोजे एहतेमाम से रखे, अपनी शरमगाह की हिफाज़त की और अपने शौहर की इताअत की तो गोया वह जन्नत में दाखिल होगी। (मुसनद अहमद)
एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे औरतों की एक जमाअत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करने के लिए भेजा है और वह यह है कि अल्लाह तआला ने जिहाद का हुकुम मर्द को दिया है चुनांचे अगर उनको जिहाद में तकलिफ पहुंचती है तो उसपर उनको अजर दिया जाता है और अगर वह शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह तआला के खुसूसी बन्दों में शुमार हो जाते हैं मरने के बावजूद वह जिन्दा रहते हैं और अल्लाह तआला की तरफ से खुसूसी रिज़्क़ उनको दिया जाता है। (जैसा कि सूरह आले इमरान 169 में लिखा है) हम औरतें उनकी

खिदमत करती हैं, हमारे लिए क्या अजर है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन औरतों की तरफ से तुम भेजी गई हो उनको बता दो कि शौहर की इताअत और उसके हक़ का एतेराफ तुम्हारे लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है लेकिन तुममें से कम ही औरतें इस ज़िम्मेदारी को बखुबी अंजाम देती हैं। (बज़्ज़ार, तबरानी)

(वज़ाहत) इन दिनों मर्द व औरत के दरमियान मुसावात और आज़ादी-ए-निसवां का बड़ा शऊर है और बाज़ हमारे भाई भी इस प्रोपेगन्डे में शरीक हो जाते हैं। हक़ीक़त यह है कि मर्द व औरत ज़िन्दगी के गाड़ी के दो पहिये हैं, ज़िन्दगी का सफर दोनों के एक साथ तैय करना है, अब ज़िन्दगी के सफर को तैय करने में इतिज़ाम की खातिर यह लाजमी बात है कि दोनों में से कोई एक सफर क जिम्मेदार हो ताकि ज़िन्दगी का निज़ाम सही चल सके। लिहाज़ा तीन रास्ते हैं। (1) दोनों को ही अमीर बनाया जाए। (2) औरत को इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बनाया जाए। (3) मर्द को इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बनाया जाए। पहली शकल में इख्तेलाफ की सूरत में मसअला हल होने के बजाए पेचिदा होता जाएगा। दूसरी शकल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि मर्द व औरत को पैदा करने वाले ने सिन्फे नाज़ूक को ऐसी औसाफ से मुत्तसिफ पैदा किया है कि वह मर्द पर हाकिम बन कर ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकती है। लिहाज़ा अब एक ही सूरत बची और वह यह है कि मर्द इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बन कर रहे। मर्द में आदतन व तबअन औरत की बनिस्बत फिक्र व तदब्बुर और बर्दाशत व तुहम्मुल की क़ुव्वत ज़्यादा होती है, नीज़ इंसानी खिलकत, फितरत, क़ुव्वत और सलाहियत के लिहाज से

और अकल के ज़रिया इंसान गौर व खौज करे तो यही नज़र आएगा कि अल्लाह तआला ने जो कुव्वत मर्द को अता की है, बड़े बड़े काम करने की जो सलाहियत मर्द को अता की है वह औरत को नहींदी गई। लिहाज़ा इमारत और सरबराही का काम सही तौर मर्द ही अंजाम दे सकता है। इस मसअला के लिए अपनी अकल से फैसला करने के बजाए उस जात से पूछें जिसने इन दोनों को पैदा किया है। चुनांचे खालिक़े कायनात ने क़ुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज़ के साथ इस मसअला का हल पेश कर दिया। इन आयात में अल्लाह तआला ने वाज़ेह अल्फाज़ में ज़िक्र फरमा दिया कि मर्द वही ज़िन्दगी के सफर का सरबराह रहेगा और फैसला करने का हक़ मर्द ही को हासिल है अगरचे मर्द को चाहिए कि औरत को अपने फैसलों में शामिल करे। मर्द हज़रात भी इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि बेशक मर्द औरत के लिए कवाम यानी अमीर की हैसियत रखता है लेकिन साथ ही दोनों के दरमियान दोस्ती का भी तअल्लुक़ है यानी इंतिजामी तौर पर तो मर्द कवाम यानी अमीर है लेकिन आपसी तअल्लुक़ दोस्ती जैसा है ऐसा तअल्लुक़ नहीं है जैसा मालिक और नौकरानी के दरमियान होता है।

एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो, दोनों हालतों में मुझे इल्म हो जाता है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह! किस तरह इल्म हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो रब्बे मोहम्मद के अल्फाज़ के साथ कसम खाती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती

हो रब्बे इब्राहिम के अल्फाज़ के साथ कसम खाती हो। उस वक़्त तुम मेरा नाम नहीं लेती बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मैं सिर्फ आपका नाम छोड़तीं,हनाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। (बुखारी)

अब आप अंदाजा लगाऐं कि कौन नाराज हो रहा है? हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और किससे नाराज हो रही हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मालूम हुआ कि अगर बीवी नाराज़गी का इज़हार कर रही है तो मर्द की कवामियत यानी इमारत के खिलाफ नहीं है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी तबई के साथ उसका ज़िक्र फरमाया कि मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चल जाता है।

इसी तरह वाक़या उफ्क को याद करें, जिसमें हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तुहमत लगाई गई थी जिसकी वजह से हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर क़यामत सुगरा बरपा हो गई थी। हत्ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुबहा हो गया था कि कहीं हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वाकई गलती तो नहीं हो गई है। जब आयते बराअत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तआला ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत का इलान किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत खुश हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा खड़ी हो जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिस्तर पर लेटी हुई थीं और बराअत की आयात

सुन लीं और लेटे लेटे फरमाया कि यह तो अल्लाह तआला का करम है कि उसने मेरी बराअत (अपने पाक कलाम में) नाज़िल फरमादी लेकिन अल्लाह तआला के सिवा किसी का शुक्र अदा नहीं करती क्योंकि आप लोगों ने तो अपने दिल में यह इहतिमाल पैदा कर लिया था कि शायद मुझसे गलती हो गई है। (बुखारी)

बज़ाहिर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने से इराज फरमाया लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा नहीं समझा इसलिए कि यह नाज की बात है। यह नाज दर हक़ीक़त इसी दोस्ती का तकाजा है जो मियां बीवी के दरमियान होती है। मालूम हुआ कि मियां बीवी के दरमियान हाकिमयत और महकूमियत का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती भी रिश्ता है और इस दोस्ती का हक़ यह है कि इस किसम के नाज को बर्दाशत किया जाए।

बहरे हाल! अल्लाह तआला ने मर्द को कवाम बनाया है इसलिए फैसला उसका मानना होगा। हां बीवी अपनी राय और मशविरा दे सकती है और शरीअत ने मर्द को यह हिदायत भी दी है कि वह हत्तल इमकान बीवी की दिलदारी का ख्याल भी करे लेकिन फैसला उसी का होगा। लिहाज़ा अगर बीवी चाहे कि हर मामला में फैसला उनका चले और मर्द कवाम नह बने तो यह सूरत फितरत के खिलाफ है, शरीअत के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है और इंसाफ के खिलाफ है और इसका नतीजा घर की बरबादी के सिवा और कुछ नहीं है।

2) शौहर के माल व आबरू की हिफाज़त

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया “जो औरतें नेक हैं वह अपने शौहरों की ताबिदारी करती हैं और अल्लाह के हुकुम के मुवाफिक नेक औरतें शौहर की गैर हाजरी में अपने नफस और शौहर के माल की हिफाज़त करती हैं यानी अपने नफस और शौहर के माल में किसी किसम की ख्यानत नहीं करती हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें मर्द का सबसे बेहतरीन खजाना नह बताऊं? वह नेक औरत है, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वह शौहर को खुश करदे, जब शौहर उसको कोई हुकुम करे तो शौहर का कहना माने। अगर शौहर कहीं बाहर सफर में चला जाए तो उसके माल और अपने नफस की हिफाज़त करे। (अबू दाउद, नसई)

शौहर के माल की हिफाज़त में यह है कि औरत शौहर की इजाज़त के बेगैर शौहर के माल में कूछ नह ले और उसकी इजाज़त के बेगैर किसी को नह दे। हां अगर शौहर वाकई बीवी बीवी के अखराजात में कमी करता है तो बीवी अपने और औलाद के खर्चे को पूरा करने के लिए शौहर की इजाज़त के बेगैर माल ले सकती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिन्द बिंत उतबा से कहा था जब उन्होंने अपने शौहर अबू सुफयान के ज़्यादा बखील होने की शिकायत की थी। इतना माल ले लिया करो जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के मुतवस्सित खर्चे के लिए काफी हो। (बुखारी व मुस्लिम)

शौहर की आबरू की हिफाज़त में यह है कि औरत शौहर की इजाज़त के बेगैर किसी को घर में दाखिल नह होने दे, किसी नामहरम से बिला ज़रूरत बा तनह करे। शौहर की इजाज़त के बेगैर घर से बाहर नह निकले।

3) घर के अंदरूनी निज़ाम को चलाना और बच्चों की तरबियत करना-यह औरतों की वह ज़िम्मेदारी है जो इनकी खिलकत के मकासिद में से एक अहम मक़सद है बल्कि यह वह बुनियादी ज़िम्मेदारी है जिसकी अदाएगी औरतों पर लाज़िम है। औरतों को इस ज़िम्मेदारी के अंजाम देने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिएक्योंकि इसी ज़िम्मेदारी को सही तरीक़ा पर अंजाम देने से फैमली मेंआराम व सुकून पैदा होगा नीज़ औलाद दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी से सरफराज होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबा अपनी बेटी या बहन को रूख्सत करते थे तो उसको शौहर की खिदमत और बच्चों की बेहतरीन तरबियत की खुसूसी ताकीद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरत अपने शौहर के घर में निगहबान और जिम्मेदार है और उससे उसके बच्चों की तरबियत वगैरह के मुतअल्लिक़ सवाल किया जाएगा।

बीवी की चद अहम और दूसरी जिम्मेदारियां

4) बीवी शौहर की इजाज़त के बेगैर नफली रोज़ा नह रख- हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वह अपने शौहर की इजाज़त से यानी किसी औरत के लिए नफली रोज़ा रखना शौहर की इजाज़त के बेगैर हलाल नहीं।

5) औरत के दिल में शौहर के पैसे का दर्द हो- औरत के दिलमें शौहर के पैसे का दर्द होना चाहिए ताकि शौहर का पैसा फज़ूल खर्ची में खर्च नह हो। घर को नौकरानियों पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वह

जिस तरह चाहें करती रहें बल्कि औरत की ज़िम्मेदारी है कि वह घर के दाखिली तमाम कामों पर निगाह रखे।

चद मुशतरका हुक़ूक़ और जिम्मेदारियां

जहां तक मुमकिन हो खुशी व राहत व सुकून को हासिल करने और रंज व गम को दूर करने के लिए एक दूसरे का मदद करना चाहिए। एक दूसरे के राज लोगों के सामने ज़िक्र नह किए जाऐं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की नजरांे में सबसे बदबख्त इंसान वह होगा जो मियां बीवी के आपसी राज को दूसरों के सामने बयान करे। (मुस्लिम)

शौहर बाहर के काम और बीवी घरैलू काम अजाम दे

क़ुरान व सुन्नत में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई कतई उसूल नहीं मिलता जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि खाना पकाना औरतों के जिम्मा है, अलबत्ता हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान काम की जो तक़सीम की वह इस तरह थी कि बाहर का काम हज़रत अली देखते थे, घरैलू काम मसलन खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह हज़रत फातिमा के जिम्मा था। लेकिन याद रखें कि ज़िन्दगी कानूनी पेचीदगियों से नहीं चला करती, लिहाज़ा जिस तरह क़ुरान व हदीस में मज़कूर नहीं है कि खाना पकाना औरत के जिम्मा है इसी तरह क़ुरान व सुन्नत में कहीं वाज़ेह तौर पर यह मौज़ूद नहीं है कि शौहर के जिम्मा बीवी का इलाज कराना लाज़िम

है, इसी तरह क़ुरान व सुन्नत में मर्द के जिम्मा नहीं है कि वह बीवी को उसके वालिदैन के घरैलू मुलाक़ात के लिए ले जाया करे। इसी तरह अगर बीवी के वालिदैन या भाई भहन उसके घर आऐ ंतो मर्द के जिम्मा नहीं है कि मुर्ग मुसल्लम व कुफते व कबाब वगैरह ले कर आए। मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे की खिदमत के जज़्बा से रहें। बाहर के काम मर्द अंजाम दे और औरत घर के मामलात को बखुबी अंजाम दे।

मियां बीवी की मुशतरका जिम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी यह है कि दोनों एक दूसरे की जिंसी ज़रूरत को पूरा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द अपनी तरफ बुलाए (यह मियां बीवी के मखसूस तअल्लुकात से किनाया है, कि शौहर अपनी बीवी को उन तअल्लुकात को क़ायम करने के लिए बुलाए) और वह औरत नह आए या ऐसा तरज इख्तियार करे कि जिससे शौहर का वह मंशा पूरा नह हो और उसकी वजह से शौहर नाराज हो जाए तो सारी रात सूबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं, यानी उस औरत पर खुदा की लानत हो और लानत के मानी यह है कि अल्लाह तआला की रहमत को उसको हासिल नहीं होगी। (बुखारी व मुस्लिम)

जिंसी ख्वाहिशात की तकमील पर अजर सवाब- हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मियां बीवी के जो आपसी तअल्लुकात होते हैं अल्लाह तआला उनपर भी अजर अता फरमाएगा। सहाबा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह! वह इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तिहत करता है, उसपर क्या अजर? आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वह नफसानी ख्वाहिश को नाजाएज़ तरीके से पूरा करता है तो उसपर गुनाह होता है या नहीं? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! गुनाह ज़रूर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि मियां बीवी नाजाएज़ तरीक़ा को छोड़ कर जाएज़ तरीके से नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुकुम की वजह से कर रहे हैं, इसलिए इसपर भी सवाब होगा। (मुसनद अहमद)

अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाने के लिए मुशतरका फिक्र व कोशिश

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "ऐ ईमान वालो! तुम अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका इंधन इंसान है और पत्थर जिसपर सख्त दिल मज़बूत फरिश्ते मुक़र्रर हैं जिन्हें जो हुकुम अल्लाह तआला देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुकुम दिया जाए बजालाते हैं।

जब मज़कूरा आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और फरमाया कि हम अपने आपको तो जहन्नम की आग से बचा सकते हैं मगर घर वालों का क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम उनको बुराईयों से रोकते रहो और अच्छाईयों का हुकुम करते रहो, इंशाअल्लाह यह अमल उनको जहन्नम की आग से बचाने वाला बनेगा।

विरासत में शिर्कत

दोनों में से किसी एक के इंतिक़ाल होने पर दूसरा उसकी विरासत में शरीक होगा।

शौहर और बीवी की विरासत में चार शकलें बनती हैं। (सूरह निसा 12)

बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद नह होने की सूरत में
(शौहर को 1/2 मिलेगा)

बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में
(शौहर को 1/4 मिलेगा)

शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद नह होने की सूरत में
(बीवी को 1/4 मिलेगा)

शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में
(बीवी को 1/8 मिलेगा)

बेटी अल्लाह की रहमत

अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है। आसमानों और ज़मीन की सलतनत व बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वह जो चाहे पैदा करता है। जिसको चाहे बेटियां देता है। और जिसे चाहता है बेटा देता है। और जिसको चाहतो है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। उसके यहां न लड़का पैदा होता है और न लड़की पैदा होती है, लाख कोशिश करे मगर औलाद नहीं होती है। यह सब कुछ अल्लाह तआला की हिकमत और मसलेहत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वह उसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की ज़रूरत है। औरतें मर्द की मोहताज हैं और मर्द औरतों के मोहताज है। अल्लाह तआला अपनी हिकमते बालिगा से दुनिया में ऐसा निज़ाम क़ायम किया है कि जिस में दोनों की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं।

अल्लाह की इस हिकमत और मसलेहत की रौशनी में जब हम अपना जाएज़ा लेते हैं तो हम में से बाज़ दोस्त ऐसे नज़र आएंगे कि जिनके यहां लड़के की बड़ी आरज़ूएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक़्त बहुत खुशी का इज़हार किया जाता है और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इज़हार नहीं किया जाता है बल्कि बाज़ औक़ात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर, इसी तरह घर के दूसरे अफराद औरत पर नाराज होते हैं, हालांकि इसमें औरत को कोई क़सूर नहीं है। यह सब कुछ अल्लाह की अता

है। किसी को ज़र्रा बराबर भी एतेराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़मानए जाहिलियत के काफिरों का अमल था जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में ज़िक्र फरमाया "**इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है, खूब सुन लो कि वह (कुफ्फारे मक्का) बहुत बुरा फैसला करते हैं।**" (सूरह नहल 58,59) लिहाज़ा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यक़ीनन खुशी व मसर्रत का इज़हार करना चाहिए।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर जितने फज़ाइल बयान फरमाए हैं बेटे की परवरिश पर इस क़दर बयान नहीं फरमाए।

लड़कियों की परवरिश के फज़ाइल से मुतअल्लिक़ चंद अहादीस

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की तीन बेटियां या तीन बहनें हों या दो बेटियां या दो बहनें हों और वह उनके साथ बहुत अच्छे तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ारे (उनके जो हुक़ूक़ शरीअत ने मुक़र्रर फरमाए हैं वह अदा करे, उनके साथ एहसान और सुलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बरताव करे) और उनके हुक़ूक़ की अदाएगी के सिलसिले में अल्लाह तआला से डरता रहे तो अल्लाह तआला इसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। (तिर्मिज़ी)

इसी मज़मून की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है, मगर इसमें इतना इज़ाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम के इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि अगर किसी की एक बेटी हो (तो क्या वह इस सवाबे अज़ीम से महरूम रहेगा?) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स एक बेटी की इसी तरह परवरिश करेगा उसके लिए भी जन्नत है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स पर लड़कियों की परवरिश और देख भाल की ज़िम्मेदारी हो और वह इसको सब्र व तहम्मुल से अंजाम दे तो यह लड़कियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। (तिर्मिज़ी)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ये रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की दो या तीन बेटियां हों और वह उनकी अच्छे अंदाज़ से परवरिश करे (और जब शादी के क़ाबिल हो जाएं तो उनकी शादी कर दे) तो मैं और वह शख्स जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह यह दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। (तिर्मिज़ी)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक क़िस्सा मंकूल है, वह फरमाती हैं कि एक औरत मेरे पास आई जिसके साथ उसकी दो लड़किया थीं, उस औरत ने मुझ से कुछ सवाल किया, उस वक़्त मेरे पास सिवाए एक खजूर के और कुछ नहीं था, वह खजूर मैंने उस औरत को दे दी, उस अल्लाह की बन्दी ने उस खजूर के दो टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों के हाथ पर रख दिया, खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी ज़रूरत थी, उसके बाद वह औरत बच्चियों को ले कर चली गई। थोड़ी देर के बाद हुज़ूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उस औरत के आने और एक खजूर के दो टुकड़े करके बच्चियों को देने का पूरा वाक़या सुनाया। आपने इरशाद फरमाया जिसको दो बच्चियों की परवरिश करने का मौक़ा मिले और वह उनके साथ शफक़त का मामला करे तो वह बच्चियां उसको जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाएंगी। (तिर्मिज़ी)

(वज़ाहत) मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि लड़कियों की शरीअते इस्लामिया के मुताबिक़ तालीम व तरबियत और फिर उनकी शादी करने पर अल्लाह तआला की तरफ से तीन फजीलतें हासिल होंगी:

1) जहन्नम से छुटकारा।

2) जन्नत में दाखला।

3) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हमराही।

क़ुरान की आयात और दूसरी अहादीस की रौशनी में यह बात बड़े वुसूक़ से कही जा सकती है कि शरीअते इस्लामिया के मुताबिक़ औलाद की बेहतर तालीम व तरबियत वही कर सकता है जो अल्लाह से डरता हो जैसा कि पहली हदीस में ज़ुकरा (उनके हुक़ूक़ की अदाएगी के सिलसिले में अल्लाह तआला से डरता रहे)।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थीं हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रूक़य्या और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारों बेटियों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की तीन बेटियों का इंतिक़ाल आपकी ज़िन्दगी में ही हो गया था, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतिक़ाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिक़ाल के छः माह बाद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बहुत ही शफकत और मोहब्बत का मामला फरमाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में तशीफ ले जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले जाते।

मसअला - जहां तक मोहब्बत का तअल्लुक़ है उसका तअल्लुक़ दिल से है और इसमें इंसान को इख्तियार नहीं है, इस लिएइसमें इंसान बराबरी करने का मुकल्लफ नहीं है, यानी किसी एक बच्चा या बच्ची से ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है, मगर इस मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इज़हार करना कि जिससे दूसरे बच्चों को एहसास हो मना है।

मसअला - औलाद को हदया और तोहफा देने में बराबरी ज़रूरी है, लिहाज़ा मां बाप अपनी ज़िन्दगी में औलाद के दरमियान अगर पैसे या कपड़े या खाने पीने की कोई चीज तक़सीम करें तो उसमें बराबरी ज़रूरी है और लड़की को भी उतना ही दें जितना लड़के को दें। शरीअत का यह हुकुम कि लड़की का लड़के के मुक़ाबले में आधा हिस्सा है यह हुकुम बाप के इंतिक़ाल के बाद उसकी मीरास में है, ज़िन्दगी का क़ायदा यह है कि लड़की और लड़के दोनों को बराबर दिया जाए।

मसअला - अगर मां बाप को ज़रूरत के मौक़े पर औलाद में किसी एक पर कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, मसलन बीमारी, तालीम और इसी तरह कोई दूसरी ज़रूरत हो तो खर्च करने में कमी बेशी करने में कोई गुनाह और पकड़ नहीं है, लिहाज़ा हसबे ज़रूरत कमी बेशी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।

मसअला - बेटी की शादी के बाद भी बेटी का हक़े मीरास खत्म नहीं होता है, यानी बाप के इंतिक़ाल के बाद भी वह बाप की जायदाद में शरीक रहती है।

अक़ीक़ा के मसाइल

अक़ीक़ा के मानी काटने के हैं। शरई इस्तिलाह में नौमूलूद बच्चा/बच्ची की जानिब से उसकी पैदाइश के सातवें दिन जो ख़ून बहाया जाता है उसे अक़ीक़ा कहते हैं। अक़ीक़ा करना सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबए किराम से सही और मुतावितर अहादीस से साबित है।

इसके चद अहम फायदे यह हैं

— ज़िन्दगी की इब्तिदाई सांसों में नौमौलूद बच्चा/बच्ची के नाम से खून बहा कर अल्लाह तआला से इसका तक़र्रुब हासिल किया जाता है।

— यह इस्लामी Vaccination है जिसके ज़रिया अल्लाह तआला के हुकुम से बाज़ परेशानियों, आफतों और बीमारियों से राहत मिल जाती है। (हमें दुनियावी Vaccination के साथ इस Vaccination का भी एहतेमाम करना चाहिए)।

— बच्चा/बच्ची की पैदाइश पर जो अल्लाह तआला की एक अज़ीम नेमत है खुशी का इज़हार हो जाता है।

— बच्चा/बच्ची की अक़ीक़ा करने पर कल क़यामत के दिन बाप बच्चा/बच्ची की शिफाअत का मुस्तहिक़ बन जाएगा जैसा कि हदीस 2 में है।

— अक़ीक़ा की दावत से रिशतेदार, दोस्त व अहबाब और दूसरे मुतअल्लिक़ीन के दरमियान तअल्लुक़ बढ़ता है जिससे उनके दरमियान मोहब्बत व उलफत पैदा होती है।

अक़ीक़ा के मुतअल्लिक़ चद अहादीस

1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चा/बच्ची के लिए अक़ीक़ा है, उसकी जानिब से तुम खून बहाओ और उससे गन्दगी (सर के बाल) को दूर करो। (बुखारी)

2) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बच्चा/बच्ची अपना अक़ीक़ा होने तक गिरवी है। उसकी जानिब से सातवें दिन जानवर ज़बह किया जाए, उस दिन उसका नाम रखा जाए और सर मुंडवाया जाए। (तिर्मिज़ी तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई, मुसनद अहमद)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान "हर बच्चा/बच्ची अपना अक़ीक़ा होने तक गिरवी है" की शरह उलमा ने ये बयान की है कि कल क़यामत के दिन बच्चा/बच्ची को बाप के लिए शिफाअत करने से रोक दिया जाएगा अगर बाप ने इस्तिाअत के बावज़ूद बच्चा/बच्ची का अक़ीक़ा नहीं किया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हत्तल इमकान बच्चा/बच्ची का अक़ीक़ा करना चाहिए।

3) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लड़के की जानिब से दो बकरियां और लड़की की जानिब से एक बकरी है। (तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद)

4) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लड़के की जानिब से दो बकरे और लड़की की जानिब से एक बकरा है। अक़ीक़ा के जानवर नर हों या मादा इससे कोई फर्क़ नहीं पड़ता यानी बकरा या बकरी जो चाहें ज़बह कर दें। (तिर्मिज़ी)

5) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का अक़ीक़ा सातवें दिन किया, इसी दिन उनका नाम रखा और हुकुम दिया कि उनके सरों के बाल मूंड दिए जाएं। (अबू दाउद)

इन मज़कूरा और दूसरी अहादीस की रौशनी में उलमा फरमाते हैं कि बच्चा/बच्ची की पैदाइश के सातवें दिन अक़ीक़ा करना, बाल मुंडवाना, नाम रखना और ख़तना कराना सुन्नत है। लिहाज़ा बाप की ज़िम्मेदारी है कि अगर वह अपने नौमौलूद बच्चे/बच्ची का अक़ीक़ा कर सकता है तो उसे चाहिए कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़रूर जिन्दा करे, ताकि अल्लाह के नज़दीक नौमौलूद बच्चा/बच्ची को अल्लाह के हुकुम से बाज़ आफतों और बीमारियों से राहत मिल सके, नीज़ कल क़यामत के दिन बच्चा/बच्ची की शिफाअत का मुस्तहिक़ बन सके।3

क्या सातवें दिन अक़ीक़ा करना शर्त है?

अक़ीक़ा करने के लिए सातवें दिन का इख्तियार करना मुस्तहब है। सातवें दिन को इख्तियार करने की अहम वजह यह है कि ज़मानाके सातों दिन बच्चा/बच्ची पर गुज़र जाते हैं। लेकिन अगर सातवें दिन मुमकिन न हो तो सातवें दिन की रिआयत करते हुए चैदहवें या इकीसवें दिन करना चाहिए जैसा कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान अहादीस की किताबों में मौजूद है। अगर कोई शख्स सातवें दिन के बजाए चौथे दिन या आठवें या दसवें दिन या उसके बाद कभी भी अक़ीक़ा करे तो यक़ीनन अक़ीक़ा की सुन्नत

अदा हो जाएगी, उसके फायदे इंशाअल्लाह हासिल हो जाएंगे, अगरचे अक़ीक़ा का मुस्तहब वक़्त छूट गया।

क्या बच्चा/बच्ची के अक़ीक़ा में कोई फर्क़ है?

बच्चा/बच्ची दोनों का अक़ीक़ा करना सुन्नत है अलबत्ता अहादीस की रौशनी में सिर्फ एक फर्क़ है, वह यह कि बच्चा के अक़ीक़ा के लिए दो और बच्ची के अक़ीक़ा के लिए एक बकरा/बकरी ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी शख्स के पास बच्चा के अक़ीक़ा के लिए दो बकरे ज़बह करने की इस्तितआत नहीं है तो वह एक बकरा से भी अक़ीक़ा कर सकता है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत अबू दाउद में मौज़ूद है।

बच्चा/बच्ची के अक़ीक़ा में फर्क़ क्यों रखा गया?

इस्लाम ने औरतों को मुआशरे में एक ऐसा अहम और बावक़ार मक़ाम दिया है जो किसी भी समावी या खुद साख्ता मजहब में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क़ुरान की आयात और अहादीसे शरीफा की रौशनी में यह बात बड़े वुसूक़ के साथ कही जा सकती है कि अल्लाह तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए मर्द को औरतों पर किसी दरजे में फौक़ियत दी है जैसा कि दुनिया के वज़ूद से ले कर आज तक हर क़ौम में और हर जगह देखने को मिलता है। मसलन हमल और विलादत की तमाम तर तकलीफें और मुसीबतें सिर्फ औरत ही झेलती है। लिहाज़ा शरीअते इस्लामिया ने बच्चे के अक़ीक़ा के लिए दो और बच्ची के अक़ीक़ा के लिए एक खून बहाने

का जो हुकुम दिया है उसकी हक़ीक़त खालिक़े कायनात ही बेहतर जानता है।

अक़ीक़ा में बकरा/बकरी के अलावा दूसरे जानवर मसलन ऊट, गाए वगैरह को ज़बह किया जा सकता है?

इस बारे में उलमा का इख्तेलाफ है, मगर तहक़ीक़ी बात यह हैकि हदीस नम्बर (1 और 2) की रौशनी में बकरा/बकरी के अलावाऊंट गाए को भी अक़ीक़ा में ज़बह कर सकते हैं, क्योंकि इस हदीस में अक़ीक़ा में खून बहाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा/बकरी की कोई शर्त नहीं रखी, लिहाज़ा ऊंट,गाए की क़ुर्बानी दे कर भी अक़ीक़ा किया जा सकता है। नीज़ अक़ीक़ा के जानवर की उम्र वगैरह के लिए तमाम उलमा ने ईदुल अज़हा की क़ुर्बानी के जानवर के शराएत तसलीम किए हैं।

क्या ऊट गाए वगैरह के हिस्सा में अक़ीक़ा किया जा सकता है?

अगर कोई शख्स अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों का अक़ीक़ा एक गाए की क़ुर्बानी में करना चाहे, यानी क़ुर्बानी की तरह हिस्सों में अक़ीक़ा करना चाहिए तो इसके जवाज़ से मुतअल्लिक़ उलमा का इख्तेलाफ है, हमारे उलमा ने क़ुर्बानी पर क़यास करके उसकी इजाज़त दी है, अलबत्ता एहतियात इसी में है कि इस तरीक़े पर अक़ीक़ा न किया जाए, बल्कि बच्चे/बच्ची की तरफ से कम से कम एक खून बहाया जाए।

क्या अक़ीक़ा के गोश्त की हडिडयां तोड़ कर खा सकते हैं?

बाज़ अहादीस और ताबेइन के अक़वाल की रौशनी में बाज़ उलमा ने लिखा है कि अक़ीक़ा के गोश्त के एहतेराम के लिए जानवर की हडिडयां जोड़ों ही से काट कर अलग करनी चाहिए। लेकिन शरीअते इस्लामिया ने इस मौज़ू से मुतअल्लिक़ कोई ऐसा उसूल व ज़ाबता नहीं बनाया है कि जिसके खिलाफ अमल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अहादीस और ताबेईन के अक़वाल बेहतर व अफज़ल अमल को ज़िक्र करने के मुतअल्लिक़ हैं। लिहाज़ा अगर आप हडिडयां तोड़ कर भी गोश्त बना कर खाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। याद रखें कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में आम तौर पर गोश्त छोटा छोटा करके यानी हडिडयां तोड़ कर ही इस्तेमाल किया जाता है।

क्या बालिग मर्द और औरत का भी अक़ीक़ा किया जा सकता है?

जिस शख्स का अक़ीक़ा बचपन में नहीं किया गया जैसा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में अक़ीक़ा छोड़ कर छटी वगैरह करने का ज़्यादा एहतेमाम किया जाता है जो कि गलत है। लेकिन अब बड़ी उम्र में उसका शुऊर हो रहा है तो वह यक़ीनन अपना अक़ीक़ा कर सकता है, क्योंकि बाज़ रिवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबूवत मिलने के बाद अपना अक़ीक़ा किया (इब्ने हज़म, तहावी) नीज़ अहादीस में किसी भी जगह अक़ीक़ा करने के आखरी वक़्त का ज़िक्र नहीं किया गया है। यह बात ज़ेहन में रखें कि बड़ी बच्ची के सर के बाल मुंडवाना जाएज़ नहीं है, ऐसी

सूरत में बाल न कटवाएं क्योंकि बाल बटवाए बेगैर भी अक़ीक़ा की सुन्नत अदा हो जाएगी।

दूसरे मसाइल

क़ुर्बानी के जानवर की तरह अक़ीक़ा के जानवर की खाल या तो गरीब व मसाकीन को दे दें या अपने घरैलू इस्तेमाल में ले लें।

खाल या खाल को बेच करके उसकी क़ीमत क़साई को बतौर उजरत देना जाएज़ नहीं है।

क़ुर्बानी के गोश्त की तरह अक़ीक़ा के गोश्त को खुद भी खा सकते हैं और रिशतेदारों को भी खिला सकते हैं। अगर क़ुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाऐं तो बेहतर है, एक अपने लिए, एक रिशतेदार के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए, लेकिन यह तीन हिस्से करना कोई ज़रूरी नहीं है।
अक़ीक़ा के गोश्त को पका कर रिशतेदारों को बुला कर भी खिला सकते हैं और कच्चा गोश्त भी तक़सीम कर सकते हैं।

(नोट) अगर बच्चा/बच्ची की पैदाइश जुमा के रोज़ हुई है तो सातवां दिन जुमेरात होगा।

बच्चे की पैदाइश के वक़्त कान में अज़ान और इक़ामत

शरीअते इस्लामिया ने बच्चे की पैदाइश के वक़्त जिन अहकामे शरईया से उम्मते मुस्लिमा को आगाह किया है उनमें से एक विलादत के फौरन बाद बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएंकान में इक़ामत कहना है।

हज़रत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई तो मैने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में अज़ान कही। (तिर्मिज़ी, अबू दाउद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश के वक़्त उनके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही। (बैहक़ी)

हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चे की पैदाइश के वक़्त दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कही जाए तो उम्मे सिबयान से हिफाज़त होती है। (बैहक़ी) उम्मे सिबयान से मुराद एक हवा है जिससे बच्चे को नुक़्सान पहुंच सकता है। बाज़ हज़रात ने इससे मुराद जिन लिया है और कहा है कि बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत कहने पर अल्लाह तआला के हुकुम से इससे हिफाज़त हो जाती है।

अज़ान और इक़ामत कहने की बाज़ हिकमतें

1) विलादत के वक़्त अज़ान कहने का एक फायदा यह है कि बच्चे के कानों में सबसे पहले उस ज़ाते अक़दस का नामे नामी दाखिल होता है जिसने एक हक़ीर क़तरे से एक ऐसा खूबसूरत इंसान बना दिया है जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है।

2) अहादीस (बुखारी व मुस्लिम) में आता है कि अज़ान और इक़ामत के कलेमात सुन कर शैतान दूर भागता है। चूंकि बच्चे की पैदाइश के वक़्त शैतान भी घात लगा कर बैठता है तो अज़ान और इक़ामत की आवाज़ सुनते ही उसके असर में कमी वाक़े होती है।

3) दुनिया दारुल इमतिहान है, इसलिए यहां आते ही बच्चे को सबसे पहले दीने इस्लाम और इबादते इलाही का दर्स दिया जाता है।

नोट - बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत कहने के मुतअल्लिक़ रिवायात में ज़ोफ मौजूद है, लेकिन बहुत से शवाहिद के बिना पर इन अहादीस को तक़वीयत मिल जाती है। नीज़ शुरू से ही उम्मते मुस्लिमा का अमल इस पर रहा है। इमाम तिर्मिज़ी ने हदीस को सही क़रार देकर फरमाया कि उम्मते मुस्लिमा का अमल भी इस पर चला आ रहा है। लिहाज़ा मालूम हुआ कि हमें बच्चे की पैदाइश के वक़्त हत्तल इमकान दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत ज़रूर कहनी चाहिए जैसा कि अल्लामा इबनुल कैम ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब "तुहफतुल वदूद फी अहकामिल मौलूद" में तफसील से ज़िक्र किया है। नीज़ शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ व दूसरे उलमा ने तहरीर फरमाया है।

मसअला - अगर किसी बच्चे की पैदाइश के वक़्त अज़ान और इक़ामत के कलेमात नहीं कहे गए तो बाद में भी यह कलेमातकहे जा सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा ही अरसा ग़ुज़र गया तो फिर अज़ान और इक़ामत के कलेमात कहने की ज़रूरत नहीं।

औरतों के खुसूसी मसाइल

हैज़ व निफास के मसाइल

शरीअते इस्लामिया में हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत के रहम (बच्चेदानी) के अंदर से मुतअय्यन औक़ात में बेगैर किसी बीमारी के निकलता हे। चूंकि यह खून तक़रीबन हर माह आता है, इसलिए इसको माहवारी (MC) भी कहते हैं। इस खून को अल्लाह तआला ने तमाम औरतों के लिए मुक़द्दर कर दिया है। हमल के दौरान यही खून बच्चे की गिज़ा बन जाता है। लड़की के बालिग होने (12-13 साल की उम्र) से तक़रीबन 50-55 साल की उम्र तक यह खून औरतों को आता रहता है। हैज़ की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के मुतअल्लिक़ उलमा की राय बहुत हैं, अलबत्ता आम तौर पर इसकी मुद्दत 3 दिन से 10 दिन तक रहती है।

निफास उस खून को कहते हैं जो मा के रहम से बच्चे की विलादत के वक़्त और विलादत के बाद निकलता रहता है। निफास की कम से कम मुद्दत की कोई हद नहीं है (एक दो रोज में भी बन्द हो सकता है) और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। (मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी) लिहाज़ा 40 दिन से पहले जब भी औरत पाकहो जाए यानी उसका खून आना बन्द हो जाए तो वह गुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दे। खून बन्द हो जाने के बाद भी 40 दिन तक इंतिज़ार करना और नमाज़ वगैरह से रुके रहना गलत है।

हैज़ या निफास वाली औरत के लिए नीचे लिखे हुए उमूर नाजाएज़ हैं

1) इन दोनों हालत में सोहबत करना। (सूरह बक़रह 222) अलबत्ता इन दिनों में मुजामअत के सिवा हर जाएज़ शकल में इस्तिमता किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया (हमबिस्तरी) के सिवा हर काम कर सकते हो। (मुस्लिम)

2) नमाज़ और रोज़े की अदागी। (मुस्लिम) हैज़ से पाक व साफ हो जाने के बाद औरत रोज़े की कज़ा करेगी, लेकिन नमाज़ की कज़ा नहीं करेगी। (बुखारी व मुस्लिम) नमाज़ रोज़ा में फर्क़ की वजह अल्लाह ही ज़्यादा जानता है, फिर भी उलमा ने लिखा है कि नमाज़ ऐसा अमल है जिसकी बार बार तकरार होती है लिहाज़ा मुमकिन है कि मशक़्क़त और परेशानी से बचने के लिए उसकी कज़ा का हुकुम नहीं दिया गया, लेकिन रोज़ा का मामला उसके बरखिलाफ है (साल मे सिर्फ एक मरतबा उसका वक़्त आता है) लिहाज़ा रोज़े की कज़ा का हुकुम दिया गया है।

3) क़ुरान करीम बेगैर किसी हायल (कपड़े) के छूना। क़ुरान करीम को सिर्फ पाकी की हालत में ही छुआ जा सकता है, लिहाज़ा नापाकी के दिनों में औरत किसी कपड़े मसलन बाहरी गिलाफ के साथ ही क़ुरान को छुए। (सूरह वाक़्या 79, नसई)

4) बैतुल्लाह का तवाफ करना। (बुखारी व मुस्लिम) अलबत्ता सई (सफा मरवा पर दौड़ना) नापाकी की हालत में की जा सकती है। (बुखारी)

5) मस्जिद में दाखिल होना। (अबू दाउद) अगर औरत मस्जिदे हराम या किसी दूसरी मस्जिद में है और नापाकी का वक़्त शुरू हो गया तो औरत को चाहिए कि फौरन मस्जिद से बाहर निकल जाए, अलबत्ता सफा मरवा या मस्जिदे हराम के बाहर सेहन में किसी जगह बैठ सकती है।

6) बेगैर छुए हुए क़ुरान करीम तिलावत करना। (अबू दाउद) इस सिलसिले में उलमा की राय मुख्तलिफ हैं, अलबत्ता तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक़ हैं कि ज़्यादा एहतियात इसी में है कि इन दिनों में क़ुरान करीम की तिलावत बेगैर देखे भी न की जाए। अलबत्ता क़ुरान करीम में वारिद अज़कार और दुआएं इन दिनों में पढ़ी जा सकती हैं।

(नोट)

— मियां बीवी का हैज़ की हालत में सोहबत करना और पीछे के रास्ते को किसी भी वक़्त इख्तियार करना हराम है।

— हैज़ (माहवारी - MC) को वक़्ती तौर पर रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल करने की शरअन गुनजाईश है।

— हैज़ या निफास वाली औरत का खून जिस नमाज़ के वक़्त शुरू हुआ अगर खून शुरू होने से पहले नमाज़ की अदाएगी न कर सकी तो फिर उस नमाज़ की कज़ा उस पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता जिस नमाज़ के वक़्त में खून बन्द होगा गुस्ल करके उस नमाज़ की अदाएगी उसके ज़िम्मे होगी।

इस्तिहाज़ा के मसाइल

हैज़ या निफास के अलावा बीमारी की वजह से भी औरत को कभी कभी खून आ जाता है जिसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। इस बीमारी के खून (इस्तिहाज़ा) के निकलने से वज़ू टूट जाता है मगर नमाज़ और रोज़ा की अदाएगी उस औरत के लिए माफ नहीं है, नीज़ इन बीमारी के दिनों में सोहबत भी की जा सकती है। (अबू दाउद, नसई)

(नोट)

अगर किसी औरत को बीमारी का खून हर वक़्त आने लगे यानी खून के क़तरे हर वक़्त निकल रहे हैं कि थोड़ा सा वक़्त भी नमाज़ के अदाएगी के लिए नहीं मिल पा रहा है तो उसका हुकुम उस शख्स की तरह है जिसको हर वक़्त पेशाब के क़तरात गिरने की बीमारी हो जाए कि वह एक वक़्त के लिए वज़ू करे और उस वक़्त में जितनी चाहे नमाज़ पढ़े, क़ुरान की तिलावत करे, दूसरी नमाज़ का वक़्त शुरू होने पर उसको दूसरा वज़ू करना होगा। (बुखारी व मुस्लिम)

मानेअ हमल के ज़राये का इस्तेमाल

शरीअते इस्लामिया ने अगरचे नसलों को बढ़ाने की तर्गीब दी है, लेकिन फिर भी ऐसे असबाब इख्तियार करने की इजाज़त दी है जिससे वक़्ती तौर पर हमल न ठहरे, मसलन दवाओं या कंडोम का इस्तेमाल या अज़्ल करना (मनी को शरमगाह के बाहर निकालना)

इसकाते हमल (Abortion)

— अगर हमल ठहर जाए तो इसक़ाते हमल जाएज़ नहीं है। (सूरह बनी इसराइल 31, सूरह अनआम 151)

— अलबत्ता शरई वजहे जवाज़ पाए जाने की सूरत में बहुत भी निहायत महदूद दायरे में हमल का इसक़ात जाएज़ है।

— चार महीने पूरे हो जाने के बाद हमल का इसक़ात बिल्कुल हराम है, क्योंकि वह एक जान को क़त्ल करने के मुतरादिफ है।

— अगर किसी वजह से हमल के बरक़रार रहने से मां की जान को खतरा हो जाए तो मां की ज़िन्दगी को बचाने के लिए चार महीने के बाद भी हमल का इसक़ात जाएज़ है। यह महज दो नुक़्सान में से बड़े नुक़्सान को दूर करने और दो मसलहतों में से बड़ी मसलत को हासिल करने की इजाज़त दी गई है।

दूध पिलाने से हुरमत का मसअला

अगर कोई औरत किसी दो साल से कम उम्र के बच्चे को अपना दूध पिला दे तो वह दोनों मां बेटे के हुकुम में हो जाते हैं, लेकिन क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक़ है कि रिज़ाअत (दूध पिलाने) के लिए बुनियादी शर्त यह है कि दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले बच्चे ने दूध पिया हो। जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है "जिन औरतों का इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का है वह अपनी औलाद को दो साल पूरा दूध पिलाएं।" (सूरह बक़रह 233)

नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिज़ाअत से हुरमत उसी वक़्त साबित होती है जबकि रिज़ाअत (दूध

पिलाना) दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले हो। (तिर्मिज़ी) यानी दूध पिलाने से मां बेटे का रिश्ता उसी वक़्त होगा जबकि दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले बच्चे को दूध पिलाया जाए। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद फरमाया हदीस सही है और सहाबए किराम का अमल भी यही था कि रिज़ाअत से हुरमत उसी वक़्त साबित होगी जब दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले बच्चे ने दूध पिया हो। दूध छुड़ाने की मुद्दत के बाद किसी मर्द को दूध पिलाने से कोई हुरमत साबित नहीं होती है। (तिर्मिज़ी)

इमाम अबू हनीफा ने अगरचे ढाई साल तक बच्चे को दूध पिलाने की गुंजाइश रखी है, अलबत्ता उलमा-ए-अहनाफ का फतवा दो साल तक ही दूध पिलाने का है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी का दूध पीले तो उससे निकाह पर कोई फर्क़ नहीं पड़ता, अलबत्ता ऐसा करने से बचना चाहिए। सहाबए किराम के ज़माने से आज तक उम्मते मुस्लिमा के 99.99% मुहद्दिसीन, मुफस्सेरीन, मुफक्केरीन, फुक़हा नीज़ चारों इमाम और जमहूर उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक़ हैं कि किसी मर्द को औरत का दूध पिलाने से हुरमत साबित नहीं होती है, यानी दोनों के दरमियान किसी भी शक्ल में मां बेट का रिश्ता नहीं बन सकता है, इसके लिए बुनियादी शर्त है कि दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले बच्चे को दूध पिलाया जाए।

महरम का बयान
(यानी जिन औरतों से निकाह करना हराम है)

सूरह निसा की 23वीं और 24वीं आयात में अल्लाह तआला ने उन औरतों का ज़िक्र फरमाया है जिनके साथ निकाह करना हराम है, वह नीचे लिखे जा रहे हैं।

नसबी रिशते

— **मा** (हकीकी मां या सौतेली मां, इसी तरह दादी या नानी)
— **बेटी** (इसी तरह पोती या नवासी)
— **बहन** (हकीकी बहन, मां शरीक बहन, बाप शरीक बहन)
— **फूफी** (वालिद की बहन खाह सगी हो या सौतेली)
— **खाला** (मां की बहन खाह सगी हो या सौतेली)
— **भतीजी** (भाई की बेटी खाह सगी हो या सौतेली)
— **भाजी** (बहन की बेटी खाह सगी हो या सौतेली)

रिज़ाई रिशते

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औरतों से नसब की वजह से निकाह नहीं किया जा सकता है रिज़ाअत (दूध पीने) की वजह से भी उन्हीं रिश्तों में निकाह नहीं किया जा सकता है। (बुखारी व मुस्लिम) गरज़ रिज़ाई मां, रिज़ाई बेटी, रिज़ाई बहन, रिज़ाई फूफी, रिज़ाई खाला, रिज़ाई भतीजी और रिज़ाई भांजी से निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रौशनी में रिज़ाअत से

हुरमत उसी सूरत में होगी जबकि दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले दूध पिलाया गया हो।

इज़देवाजी रिशते

— बीवी की मां (सास)

— बीवी की पहले शौहर से बेटी, लेकिन ज़रूरी है कि बीवी से सोहबत कर चुका हो।

— बेटे की बीवी (बहू) (यानी अगर बेटा अपनी बीवी को तलाक़ दे दे या मर जाए तो बाप बेटे की बीवी से शादी नहीं कर सकता)

— दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना (इसी तरह खाला और उसकी भांजी, फूफी और उसकी भतीजी को एक साथ निकाह में रखना मना है)

आम रिशते

— किसी दूसरे शख्स की बीवी (अल्लाह तआला के इस वाज़ेह हुकुम की वजह से एक औरत बयक वक़्त एक से ज़ायद शादी नहीं कर सकती है)

वज़ाहत

1) बीवी के इंतिक़ाल या तलाक़ के बाद बीवी की बहन (साली), उसकी खाला, उसकी भांजी, उसकी फूफी या उसकी भतीजी से निकाह किया जा सकता है।

2) भाई, मामू या चाचा के इंतिक़ाल या उनके तलाक़ देने के बाद भाभी, मुमानी और चाची के साथ निकाह किया जा सकता है।

औरत का जिन मर्दों से परदा नहीं है और उनके साथ सफर किया जा सकता है वह नीचे लिखे जा रहे हैं जैसा कि सूरह नूर की आयत 31 और सूरह अहज़ाब की आयत 55 में मज़कूर है।

नसबी रिशते

— **बाप**(इसी तरह दादा या नाना)
— **बेटा** (इसी तरह पोता या नवासा)
— **भाई** (हक़ीक़ी भाई, मां शरीक भाई, बाप शरीक भाई)
— **चाचा** (वालिद के भाई चाहे सगे हों या सैतेले)
— **मामू** (वालिदा के भाई चाहे सगे हों या सैतेले)
— **भतीजा** (भाई का बेटा चाहे सगा हो या सौतेला)
— **भाजा** (बहन का बेटा चाहे सगा हो या सौतेला)

रिज़ाई रिशते

रिज़ाई बाप, रिज़ाई बेटा, रिज़ाई भाई, रिज़ाई चाचा, रिज़ाई मामू, रिज़ाई भतीजा और रिज़ाई भांजा।

इज़देवाजी रिशते

— शौहर
— शौहर के वालिद या दादा
— शौहर की पहली/दूसरी बीवी का बेटा
— दामाद

(वज़ाहत)

1) खूनी या रिज़ाई या इज़्देवाजी रिशते न होने की वजह से औरत को अपने बहनोई, देवर या जेठ, खालू या फूफा से शरई एतेबार से परदा करना चाहिए और उनके साथ सफर भी नहीं करना चाहिए। गरज़ ये कि मर्द अपनी साली या भाभी के साथ सफर नहीं कर सकता है।

2) औरतों को अपने चचाज़ाद, फूफीज़ाद, खालाज़ाद और मामूज़ाद भाई से परदा करना चाहिए और उनके साथ सफर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत की अपने चचाज़ाद, फूफीज़ाद, खालाज़ाद और मामूज़ाद भाई से शादी हो सकती है।

इल्मे मीरास और उसके मसाइल

लुगवी मानी: मीरास की जमा मवारीस आती है जिसके मानी "तरका" हैं, यानी वह माल व जायदाद जो मय्यत छोड़ कर मरे। इल्मे मीरास को इल्मे फरायज़ भी कहा जाता है, फरायज़ फरीज़ा की जमा है जो फर्ज़ से लिया गया है जिसके मानी "मुतअय्यन" हैं, क्योंकि वारिसों के हिस्से शरीअते इस्लामिया की जानिब से मुतअय्यन हैं इसलिए इसको इल्मे फरायज़ भी कहते हैं।

इस्तेलाही मानी: इस इल्म के ज़रिये यह जाना जाता है कि किसी शख्स के इंतिक़ाल के बाद उसका वारिस कौन बनेगा और कौन नहीं, नीज़ वारिसीन को कितना कितना हिस्सा मिलेगा।
क़ुरान करीम में बहुत सी जगहों पर मीरास के अहकाम बयान किए गए हैं, लेकिन तीन आयात (सूरह निसा 11, 12 व 127) में इख्तेसार के साथ बेशतर अहकाम जमा कर दिए गए हैं। मीरास के मसाइल में फुक़हा व उलमा का इख्तेलाफ बहुत कम है।

इल्मे मीरास की अहमियत: दीने इस्लाम में इस इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म को पढ़ने पढ़ाने की बहुत दफा तर्गीब दी है।
— नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्मे फरायज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि यह निस्फ (आधा) इल्म है, इसके मसाइल लोग जल्दी भूल जाते हैं, यह पहला इल्म है जो मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। (इब्ने माजा)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे फरायज़ को निस्फ इल्म क़रार दिया है। इसकी मुख्तलिफ तौजिहात ज़िक्र की गई हैं जिनमें से एक यह है कि इंसान की दो हालतें होती हैं, एक ज़िन्दगी की हालत और दूसरी मरने की हालत। इल्मे मीरास में ज़्यादातर मसाइल मौत की हालत के मुतअल्लिक़ होते हैं, जबकि दूसरे उलूम में ज़िन्दगी के मसाइल से बहस होती है, लिहाज़ा इस मानी के सामने रख कर इल्मे मीरास निस्फ इल्म हुआ।

— नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे भी एक दिन दुनिया से रूख्सत होना है, इल्म उठा लिया जाएगा और फितने ज़ाहिर होंगे यहां तक कि मीरास के मामले में दोशख्स इख्तेलाफ करेंगे तो कोई शख्स उनके दरमियान फैसला करने वाला नहीं मिलेगा। (तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद)

— हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मीरास के मसाइल को सीखा करो, क्योंकि यह तुम्हारे दीन का एक हिस्सा है। (अद्दारमी 2851)

— हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जो शख्स क़ुरान करीम सीखे उसको चाहिए कि वह इल्मे मीरास को भी सीखे। (बैहक़ी)

इल्मे मीरास के तीन अहम हिस्से हैं

मुवर्रिस - वह मय्यत जिसका साज़ व सामान व जायदाद दूसरों की तरफ मुंतक़िल हो रही है।

वारिस - वह शख्स जिसकी तरफ मय्यत का साज व सामान व जायदाद मुंतक़िल हो रही है। वारिस की जमा वुरसा आती है।

मौरूस - तरका यानी वह जायदाद या साज व सामान जो मरने वाला छोड़ कर मरा है।

मय्यत के साज व सामान और जायदाद में चार हुक़ूक़ हैं

1) मय्यत के माल व जायदाद में सबसे पहले उसके कफन व दफन का इंतिज़ाम किया जाए।

2) दूसरे नम्बर पर जो क़र्ज़ मय्यत के ऊपर है उसको अदा किया जाए।

अल्लाह तआला ने अहमियत की वजह से क़ुरान करीम में वसीयत को क़र्ज़ पर मुक़द्दम किया है, लेकिन उम्मत का इजमा है कि हुकुम के एतेबार से क़र्ज़ वसीयत पर मुक़द्दम है, यानी अगर मय्यत के जिम्मे क़र्ज़ हो तो सबसे पहले मय्यत के तरके में से वह अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी और उसके बाद मीरास तक़सीम होगी।

अगर मय्यत ज़कात वाजिब होने के बावज़ूद ज़कात की अदाएगी न कर सका या हज फर्ज़ होने के बावज़ूद हज की अदाएगी न कर सका या बीवी का महर अभी तक अदा नहीं किया गया तो यह चीज़ेंभी मय्यत के जिम्मे क़र्ज़ की तरह हैं।

3) तीसरा हक़ यह है कि एक तिहाई हिस्से तक उसकी जाएज़ वसीयतों को नाफिज़ किया जाए।

वसीयत का क़ानून

शरीअते इस्लामिया में वसीयत का क़ानून बनाया गया ताकि क़ानूने मीरास की रू से जिन अज़ीज़ों को मीरास में हिस्सा नहीं पहुंच रहा है

और वह मदद के मुस्तहिक़ हैं मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौज़ूद है या किसी बेटे की बेवा मुसीबत में है या कोई भाई या बहन या कोई दूसरा अज़ीज़ सहारे का मोहताज है तो वसीयत के ज़रिये उस शख्स की मदद की जाए। वसीयत करना और न करना दोनों अगरचे जाएज़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात में वसीयत करना अफज़ल व बेहतर है। वारिसों के लिए एक तिहाई जायदाद में वसीयत का नाफिज़ करना वाजिब है यानी अगर किसी शख्स के कफन दफन के अखराजात और क़र्ज़ की अदाएगी के बाद 9 लाख रूपये की जायदाद बचती है तो 3 लाख तक वसीयत नाफिज़ करना वारिसीन के लिए ज़रूरी है। एक तिहाई से ज़्यादा वसीयत नाफिज़ करने और न करने में वारिसीन को इख्तियार है।

(नोट) किसी वारिस या तमाम वारिसीन को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो यह गुनाहे कबीरा है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने वारिस को मीरास से महरूम किया अल्लाह तआला क़यामत के दिन जन्नत से उसको (कुछ अरसे के लिए) महरूम रखेगा। (इब्ने माजा)

4) चौथा हक़ यह है कि बाक़ी साज़ व सामान और जायदाद को शरीअत के मुताबिक़ वारिसीन में तक़सीम कर दिया जाए। “**नसीबम मफ्रूज़ा**” (सूरह निसा 7) “**फरीज़तम मिनल्लाहि**” (सूरह निसा 11) “**वसीयतम मिनल्लाहि**” (सूरह निसा 12) “**तिलका हुदूदुल्लहि**” (सूरह निसा 13) से मालूम हुआ कि क़ुरान व सुन्नत में ज़िक्र किए गए हिस्सों के एतेबार से वारिसीन को मीरास तक़सीम करना वाजिब है।

वुरसा की तीन किसमें

1) **साहिबुल फर्ज़** - वह वुरसा जो शरई एतेबार से ऐसा मुअय्यन हिस्सा हासिल करते हैं जिसमें कोई कमी या बेशी नहीं हो सकती है। ऐसे मुअय्यन हिस्से जो क़ुरान करीम में ज़िक्र किए गए हैं वह छः हैं: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6

क़ुरान व सुन्नत में जिन हज़रात के हिस्से मुतअय्यन किए गए हैं वह यह हैं:

— बेटी (बेटी न होने की सूरत में में पोती)

— मां बाप (मां बाप न होने की सूरत में दादा दादी)

— शौहर

— बीवी

— भाई

— बहन

2) **असबा** - वह वुरसा जो मीरास में गैर मुअय्यन हिस्से के हक़दार बनते हैं, यानी असहाबुल फरूज़ के हिस्सों की अदाएगी के बाद बाक़ी सारी जायदाद के मालिक बन जाते हैं, मसलन बेटा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ुरान व सुन्नत में जिन वुरसा के हिस्से मुतअय्यन किए गए हैं उनको देने के बाद जो बचेगा वह क़रीब तरीन रिशतेदार को दिया जाएगा। (बुखारी व मुस्लिम)

3) **ज़विल अरहाम** - वह रिशतेदार जो नम्बर 1 (साहिबुल फर्ज़) और नम्बर 2 (असबा) में से कोई वारिस न होने पर मीरास में शरीक होते हैं, जैसे चाचा, भतीजे और चचाज़ाद भाई वगैरह।

मीरास किस को मिलेगी?

तीन वजहों में से कोई एक वजह पाए जाने पर ही विरासत मिल सकती है।

1) **खूनी रिश्तेदारी** - यह दो इंसानों के दरमियान विलादत का रिश्ता है, अलबत्ता क़रीबी रिश्तेदार की मौज़ूदगी में दूर के रिश्तेदारों को मीरास नहीं मिलेगी, मसलन मय्यत के भाई बहन उसी सूरत में मीरास में शरीक हो सकते हैं जबकि मय्यत की औलाद या वालिदैन में से कोई एक भी जिन्दा न हो। यह खूनी रिश्ते उसूल व फुरू व हवाशी पर मुशतमिल होते हैं। उसूल (जैसे वालिदैन, दादा दादी वगैरह) और फुरू (जैसे औलाद, पोते पोती वगैरह) और हवाशी (जैसे भाई, बहन, भतीजे, भांजे, चाचा और चचाज़ाद भाई वगैरह)।

(वज़ाहत) सूरह निसा आयत 7 से यह बात मालूम होती है कि मीरास की तक़सीम ज़रूरत के मेयार से नहीं बल्कि क़राबत के मेयार से होती है, इस लिए ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदारों में जो ज़्यादा हाजतमंद हो उसको मीरास का ज़्यादा मुस्तहिक़ समझा जाए, बल्कि जो मय्यत के साथ रिश्ते में ज़्यादा क़रीब होगा वह दूर के बनिसबत ज़्यादा मुस्तहिक़ होगा। गरज़ ये कि मीरास की तक़सीम क़रीब से क़रीब तर के उसूल पर होती है चाहे मर्द हो या औरत, बालिग हो या नाबालिग।

2) **निकाह** - मियां बीवी एक दूसरे के मीरास में शरीक होते हैं।

3) **गुलामियत से छुटकारा** - इसका वज़ूद अब दुनिया में नहीं रहा, इस लिए मज़मून में इससे मुतअल्लिक़ कोई बहस नहीं की गई है।

शरीअते इस्लामिया ने औरतों और बच्चों के हुक़ूक़ की पूरी हिफाज़त की है और ज़मानए जाहिलीयत की रस्म व रिवाज के बरखिलाफ उन्हें भी मीरास में शामिल किया है जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम (सूरह निसा आयत 7) में ज़िक्र फरमाया है।

मर्दों में से यह रिश्तेदार वारिस बन सकते हैं

बेटा, पोता, बाप, दादा, भाई, भतीजा, चाचा, चाचज़ाद भाई, शौहर

औरतों में से यह रिश्तेदार वारिस बन सकते हैं

बेटी, पोती, मां, दादी, बहन, बीवी

(नोट) उसूल व फरू में तीसरी पुशत (मसलन पड़ दादा या पड़ पोता) या जिन रिश्तेदारों तक आम तौर विरासत की तक़सीम की नौबत नहीं आती है उनके अहकाम यहां बयान नहीं किए गए हैं, तफ्सीलात के लिए उलमा से रुजू फरमाएं।

शौहर और बीवी के हिस्से

शौहर और बीवी की विरासत में चार शकलें बनती हैं। (सूरह निसा 12)

— बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद न होने की सूरत में शौहर को 1/2 मिलेगा।

— बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में शौहर को 1/4 मिलेगा।

— शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद न होने की सूरत में बीवी को 1/4 मिलेगा।

— शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में बीवी को 1/8 मिलेगा।

(वज़ाहत) अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो यही मुतअय्यन हिस्सा (1/4 या 1/8) बइजमाए उम्मत उनके दरमियान तक़सीम किया जाएगा।

बाप का हिस्सा

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसके वालिद ज़िन्दा हैं और मय्यत का बेटा या पोता भी मौज़ूद है तो मय्यत के वालिद को 1/6 मिलेगा।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसके वालिद ज़िन्दा हैं अलबत्ता मय्यत की कोई भी औलाद या औलाद की औलाद ज़िन्दा नहीं है तो मय्यत के वालिद असबा में शुमार होंगे, यानी मुअय्यन हिस्सों की अदाएगी के बाद बाकी सारी जायदाद मय्यत के वालिद की हो जाएगी।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसके वालिद ज़िन्दा हैं और मय्यत की एक या ज़्यादा बेटी या पोती ज़िन्दा है अलबत्ता मय्यत का कोई एक बेटा या पोता ज़िन्दा नहीं है तो मय्यत के वालिद को 1/6 मिलेगा। नीज़ मय्यत के वालिद असबा में भी होंगे, यानी मुअय्यन हिस्सों की अदाएगी के बाद बाकी सब मय्यत के वालिद का होगा।

मां का हिस्सा

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसकी मां ज़िन्दा है अलबत्ता मय्यत की कोई औलाद नीज़ मय्यत का कोई भाई बहन ज़िन्दा नहीं है तो मय्यत की मां को 1/3 मिलेगा।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसकी मां ज़िन्दा हैं और मय्यत की औलाद में से कोई एक या मय्यत के दो या दो से ज़्यादा भाई मौज़ूद हैं तो मय्यत की मां को 1/6 मिलेगा।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसकी मां ज़िन्दा है, अलबत्ता मय्यत की कोई औलाद नीज़ मय्यत का कोई भाई बहन ज़िन्दा नहीं है, लेकिन मय्यत की बीवी ज़िन्दा है तो सबसे पहले बीवी को 1/4 मिलेगा। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह फैसला फरमाया था।

औलाद के हिस्से

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसके एक या ज़्यादा बेटे ज़िन्दा हैं लेकिन कोई बेटी ज़िन्दा नहीं है तो ज़विल फुरूज़ में से जो शख्स (मसलन मय्यत के वालिद या वालिदा या शौहर या बीवी) ज़िन्दा हैं उनके हिस्से अदा करने के बाद बाकी सारी जायदाद बेटों में बराबर तक़सीम की जाएगी।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त उसके बेटे और बेटियां ज़िन्दा हैं तो ज़विल फुरूज़ में से जो शख्स (मसलन मय्यत के वालिद या वालिदा या शौहर या बीवी) ज़िन्दा हैं उनके हिस्से अदा करने के बाकी सारी जायदाद बेटों और बेटियों में क़ुरान करीम के

उसूल (लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर) की बुनियाद तक़सीम की जाएगी।

— अगर किसी शख्स की मौत के वक़्त सिर्फ उसकी बेटियां ज़िन्दा हैं बेटे ज़िन्दा नहीं हैं तो एक बेटी की सूरत में उसे 1/2 मिलेगा और दो या दो से ज़्यादा बेटियां होने की सूरत में उन्हें 2/3 मिलेगा।

(वज़ाहत) अल्लाह तआला ने सूरह निसा आयत 11 में मीरास का एक अहम उसूल बयान किया है "**अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के मुतअल्लिक़ हुकुम करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है।**"

शरीअते इस्लामिया में मर्द पर सारी मआशी जिम्मेदारियां आयद की हैं, चुनांचे बीवी और बच्चों के पूरे अखराजात औरत के बजाए मर्द के ज़िम्मे रखे हैं यहां तक कि औरत के ज़िम्मे ख़ुद उसका खर्च भी नहीं रखा, शादी से पहले वालिद और शादी के बाद शौहर के ज़िम्मे औरत का खर्च रखा गया है। इस लिए मर्द का हिस्सा औरत से दोगुना रखा गया है।

अल्लाह तआला ने लड़कियों को मीरास दिलाने का इस कदर एहतेमाम किया है कि हिस्सा को असल क़रार दे कर उसके एतेबार से लड़कों का हिस्सा बताया कि लड़को हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है।

भाई बहन के हिस्से

मय्यत के बहन भाई को इसी सूरत में मीरास मिलती है जबकि मय्यत के वालिदैन और औलाद में से कोई भी ज़िन्दा न हो। आम

तौर पर ऐसा कम होता है इस लिए भाई बहन के हिस्से का तज़केरा यहां नहीं किया है। तफसीलात के लिए उलमा से रुजू फरमाएं।

खुसूसी हिदायत: मीरात की तक़सीम के वक़्त तमाम रिश्तेदारों की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि अगर मय्यत का कोई रिश्ता तंग दस्त है और ज़ाब्तए शरई से मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं है फिरभी उसको कुछ दे दें जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह निसा आयत 8 एवं 9 में इसकी तर्गीब दी है। 10 वीं आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं हक़ीक़त में वह अपने पेट आग से भरते हैं और वह जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगें।

तम्बीह: मीरास वह माल है जो इंसान मरते वक़्त छोड़ कर जाता है और उसमें सारे वुरसा अपने अपने हिस्से के मुताबिक़ हक़दार होते हैं। इंतिक़ाल के फौरन बाद मरने वाले की सारी जायदाद वुरसा में मुंतकिल हो जाती है। लिहाज़ा अगर किसी शख्स ने मीरास क़ुरान व सुन्नत के मुताबिक़ तक़सीम नहीं की तो वह जुल्म करने वाला होगा। अल्लाह तआला! हमें तक़सीम मीरास की कोताहियों से बचने वाला बनाए और तमाम वारिसों को क़ुरान व सुन्नत के मुताबिक़ मीरास तक़सीम करने वाला बनाए।

नोट - इंसान अपनी ज़िन्दगी में अपने माल व सामान व जायदाद का खुद मालिक है। अपनी आम सेहत की ज़िन्दगी में अपनी औलाद में हत्तल इमकान बराबरी करते हुए जिस तरह चाहे अपनी जायदाद

तक़सीम कर सकता है अलबत्ता मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ क़ुरआन व सुन्नत में मज़कूरा मीरास के तरीक़े से ही तरका तक़सीम किया जाएगा, क्योंकि मरते ही तरका के मालिक शरीअते इस्लामिया के हुसूल के मुताबिक़ बदल जाते हैं।

नोट - यहां मीरास के अहम अहम मसाइल इख्तिसार के साथ ज़िक्र किए गए हैं, तफसीलात के लिए उलमाए किराम से रुजू फरमाएं।

तीन तलाक़ का मसअला

हाल ही में इंट्रनेट के एक ग्रुप पर तलाक़ के मुतअल्लिक़ एक फतवे पर मुख्तलिफ हज़रात के तअस्सुरात पढ़ने को मिले। पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि बाज़ हज़रात तलाक़ के मानी तक नहीं जानते, लेकिन तलाक़ के मसाइल पर अपनी राय लिखने को दीनी फरीज़ा समझते हैं।

मेरे अज़ीज़ दोस्तो!

आप किसी मसअले पर किसी आलिम/मुफ्ती की राय से इख्तेलाफ कर सकते हैं मगर क़ुरान व हदीस की रौशनी में मसअले से वाक़फियत के बेगैर किसी फतवा/मसअला पर अपनी राय ज़ाहिर करना और उसको बिला वजह मौज़ूए बहस बनाना जाएज़ नहीं है। अगर मसअला आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मोतबर उलमा से पूछें, मुमकिन है कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में उनकी राय भी वही हो। अगर मसअला उलमा के दरमियान मुख्तलफ फीह है तो आप क़ुरान व हदीस की रौशनी में अल्लाह से डरते हुए आलिम/मुफ्ती जो बात सही समझेगा उसको लिख देगा चाहे आप उससे मुत्तफिक़ हों या नहीं।

मौज़ूए बहस मसअला (तलाक़) पर गुफतगू करने से पहले निकाह की हक़ीक़त को समझें कि निकाह की हैसियत अगर एक तरफ आपसी मामला व मुआहिदा की है तो दूसरी तरफ यह सुन्नत व इबादत की हैसियत भी रखता है। शरीअत की निगाह में यह एक बहुत सही संजीदा और क़ाबिले एहतेराम मामला है जो इसलिए किया जाता है

कि बाकी रहे, यहां तक कि मौत ही मियां बीवी को एक दूसरे से जुदा करे। यह एक ऐसा क़ाबिले कदर रिश्ता है जो तकमीले इंसानियत का ज़रिया और रज़ाए इलाही व इत्तिबाए सुन्नत का वसीला है और यह एक ऐसा मामला है जिसके टूटने से न सिर्फ मियां बीवी मुतअस्सिर होते हैं बल्कि इससे पूरे घरेलू निज़ाम की चुलें हिल जाती हैं और बसाऔक़ात खानदानों में झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला की हलाल करदा चीजों में तलाक़ से ज़्यादा घिनावनी और कोई चीज नहीं है। (अबू दाउद) इसी लिए उलमाए किराम ने फरमाया कि तलाक़ का लफ्ज़ कभी मज़ाक में भी ज़बान पर न लाया जाए।

इसी लिए जो असबाब इस बाबरकत और मुक़द्दस रिश्ते को तोड़ने का ज़रिया बन सकते हैं उन्हें रास्ते से हटाने का शरीअत ने पूरा इंतिज़ाम किया है, चुनांचे मियां बीवी में इख्तेलाफ की सूरत में सबसे पहले एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जाए, फिर डांट डपट की जाए और इससे भी काम न चले और बात बढ़ जाए तो दोनों खानदान के चंद अफराद मिल कर मामला तैय करने की कोशिश करें। लेकिन बसाऔक़ात हालात इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि इस्लाहे हाल की यह सारी कोशिशें बेसूद हो जाती हैं और रिश्तए इज़्देवाज से मतलूब फवायद हासिल होने के बजाए मियां बीवी का आपस में मिल कर रहना एक अज़ाब बन जाता है। ऐसी नागुज़ीर हालत में कभी कभी इज़्देवाजी ज़िन्दगी का खत्म कर देना ही न सिर्फ दोनों के लिए बल्कि दोनों खानदानों के लिए बाइसे राहत होता है, इसलिए शरीअते इस्लामिया ने तलाक़ और फस्खे निकाह (खुलअ)

का क़ानून बनाया है, जिस में तलाक़ का इख्तियार सिर्फ मर्द को दिया गया है, क्योंकि इसमें आतदन व तबअन औरत के मुकाबले फिक्र व तदब्बुर और बर्दाशत व तहम्मुल की कुव्वत ज़्यादा होती है जैसा कि कुरान की आयत "वलिर रिजालि अलैहिन्न दरजह" (सूरह बक़रह 238) और "अर रिजालु क़व्वमूना अलन निसा" (सूरह निसा) में ज़िक्र किया गया है। लेकिन औरत को भी इस हक़ से यकसर महरूम नहीं किया गया, बल्कि उसे भी यह हक़ दिया गया है कि वह शरई अदालत में अपना मौक़िफ पेश करके क़ानून के मुताबिक़ तलाक़ हासिल कर सकती है जिसको खुलअ कहा जाता है।

मर्द को तलाक़ का इख्तियार दे कर उसे बिल्कुल आजाद नहीं छोड़ दिया गया बल्कि उसे ताकीदी हिदायत दी गई कि किसी वक़्ती व हंगामी नागवारी में इस हक़ का इस्तेमाल न करे, नीज़ हैज़ के ज़माने में या ऐसे पाकी में जिसमें हमबिस्तरी हो चुकी है तलाक़ न दे, क्योंकि इस सूरत में औरत की इद्दत खाह मखाह लम्बी हो सकती है, बल्कि इस हक़ के इस्तेमाल का बेहतर तरीक़ा यह है कि जिस पाकी के दिनों हमबिस्तरी नहीं की गई है एक तलाक़ दे कर रुक जाए, इद्दत पूरी हो जाने पर रिश्तए निकाह खुद ही खत्म हो जाएगा, दूसरी या तीसरी तलाक़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर दूसरी या तीसरी तलाक़ देनी ही है तो अलग अलग पाकी की हालत में दी जाए। फिर मामलए निकाह को तोड़ने में यह लचक रखी गई है कि दौराने इद्दत अगर मर्द अपनी तलाक़ से रुजू कर ले तो पहले वाला निकाह बाक़ी रहेगा, नीज़ औरत को नुक़्सान से बचाने की गरज़ से हक़े रजअत को भी दो तलाकों तक महदूद कर दिया गया, ताकि कोई शौहर महज औरत को सताने के लिए ऐसा न करे कि हमेशा

तलाक़ देता रहे और रजअत करके कैदे निकाह में उसे कैद रखेजैसा कि सूरह बक़रह की आयात नाज़िल होने से पहले बाज़ लोग किया करते थे, बल्कि शौहर को पाबन्द कर दिया गया कि रजअत का इख्तियार सिर्फ दो तलाकों तक ही है, तीन तलाकों की सूरत में यह इख्तियार खत्म हो जाएगा, बल्कि मियां बीवी अगर आपसी रज़ामंदी से भी दोबारा निकाह करना चाहें तो एक खास सूरत के अलावा यह निकाह दुरुस्त और हलाल होगा। सूरह बक़रह आयत 230 में यही खास सूरह बयान की गई है जिसका हासिल यह है कि अगर किसी शख्स ने तीसरी तलाक़ दे दी तो दोनों मियां बीवी रिश्तए निकाह से मुंसलिक होना भी चाहें तो वह ऐसा नहीं कर सकते यहां तक कियह औरत तलाक़ की इद्दत गुज़ारने के बाद दूसरे मर्द से निकाह करे, दूसरे शौहर के साथ रहे, दोनों एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हों। फिर अगर इत्तेफाक़ से यह दूसरा शौहर भी तलाक़ दे दे या वफात पा जाए तो उसकी इद्दत पूरी करने के बाद पहले शौहर से निकाह हो सकता है। यही वह जाएज़ हलाला है जिसका ज़िक्र किताबों में मिलता है।

अब मौज़ूए बहस मसअला की तरफ रुजू करता हूं कि अगर किसी शख्स ने हिमाक़त और जिहालत का सबूत देते हुए हलाल तलाक़ के बेहतर तरीक़ा को छोड़ कर गैर मशरू तौर पर तलाक़ दे दी, मसलन तीन तलाकें नापाकी के दिनों में दे दीं, या एक ही तुहर में अलग अलग वक़्त वक़्त में तीन तलाकें दे दीं या अलग अलग तीन तलाक ऐसे तीन पाकी के दिनों में दीं जिसमें कोई सोहबत की हो या एक ही वक़्त में तीन तलाकें ऐसे पाकी के दिनों में दीं जिसमौई क

सोहबत की हो या एक ही वक़्त में तीन तलाक़ दे दीं तो उसकाक्या असर होगा?

हलाल तलाक़ के बेहतर तरीक़ा को छोड़ कर मज़कूरा बाला तमाम गैर मशरू सूरतों में तीन ही तलाक़ पड़ने पर तमाम उलमाए किराम मुत्तफिक़ हैं सिवाए एक सूरत के कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में तीन तलाक़ दे दे तो क्या एक वाक़े होगी या तीन। जमहूर उलमा की राय के मुताबिक़ तीन ही तलाक़ वाक़े होगी। फुक़हा सहाबए किराम हज़रत उमर फारूक़, हज़रत उसमान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह वगैरह तीन ही तलाक़ पड़ने के क़ायल थे, नीज़ चारों इमाम (इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम) की मुत्तफक़ अलैह राय भी यही है कि एक मजलिस में तीन तलाक़ देने पर तीन ही वाक़े होंगी जैसा कि 1393 हिजरी में सउदी अरब के बड़े बड़े उलमाए किराम की अकसरियत ने बहस व मुबाहसा के बाद क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फैसला किया कि एक वक़्त में दी गई तीन तलाकें तीन ही शुमार होंगी। यह पूरी बहस और मुफस्सल तजवीज़ (मजल्लतुल बहूस अल इस्लामिया 1397 हिजरी) में 150 सफहात में छपी हुई है जो इस मौज़ू पर एक अहम इल्मी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। इस फैसले में सउदी अरब के जो अकाबिर उलमा शरीक रहे उनके नाम यह हैं। (1) शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ (2) शैख अब्दुल्लाह बिन हमीद (3) शैख मोहम्मद अल अमीन अश शंकीती (4) शैख सुलैमान बिन उबैद (5) शैख अब्दुल्लाह खय्यात (6) शैख

मोहम्मद अल हरकान (7) शैख इब्राहिम बिन मोहम्मद आल शैख (8) शैख अब्दुर रज़्ज़ाक अफीफी (9) शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह (10) शैख सालेह बिन गसून (11) शैख मोहम्मद बिन जुबैर (12) शैख अब्दुल मजीद हसन (13) शैख राशिद बिन खुनैन (14) शैख सालेह बिन लहीदान (15) शैख मिहज़ार अक़ील (16) शैख अब्दुल्लाह बिन गदयान (17) शैख अब्दुल्लाह बिन मनी।

मज़मून के आखिर में भी यह फैसला मज़कूर है। सउदी अरब के अकाबिर उलमा ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में सहाबए किराम, ताबेईन और तबे ताबेईन के अक़वाल को सामने रख कर यही फैसला फरमाया कि एक मजलिस में तीन तलाकें देने पर तीन ही वाक़े होंगी। उलमाए किराम की दूसरी जमाअत ने जिन दो अहादीस को बुनियाद बना कर एक मजलिस में तीन तलाक़ देने पर एक वाक़े होने का फैसला फरमाया है सउदी अरब के अकाबिर उलमा ने उ न अहादीस को गैर मोतबर क़रार दिया है। नीज़ हिन्द, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के तक़रीबन तमाम उलमाए किराम की भी यही राय है।

लिहाज़ा मालूम हुआ कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में 1400 साल से उम्मते मुस्लिमा (90.95%) इसी बात पर मुत्तफिक़ है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ तीन ही शुमार की जाएंगी, लिहाज़ा अगर किसी शख्स ने एक मजलिस में तीन तलाकें दें दीं तो इख्तियार रजअत खत्म हो जाएगा नीज़ मियां बीवी अगर आपसी रज़ामंदी से भी दोबारा निकाह करना चाहें तो यह निकाह दुरुस्त और हलाल नही होगा यहां तक कि औरत तलाक़ की इद्दत गुज़ारने के बाद दूसरे मर्द से निकाह करे, दूसरे शौहर के साथ रहे, दोनों एक दूसरे से लुत्फ

अंदोज हों, फिर अगर इत्तेफाक़ से यह दूसरा शौहर भी तलाक़ दे दे या वफात पा जाए तो उसकी इद्दत पूरी करने के बाद पहले शौहर से निकाह हो सकता है। यही वह जाएज़ हलाला है जिसका ज़िक्र किताबों में मिलता है, जिसका ज़िक्र क़ुरान करीम के सूरह बक़रह आयात 230 में आया है।

(नोट) दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक मजलिस में तीन तलाक़ देने पर बेशुमार मवाक़े पर बाक़ायदा तौर पर तीन ही तलाक़ का फैसला सादिर किया जाता रहा, किसी सहाबी का कोई इख्तेलाफ हत्ताकि किसी ज़ईफ रिवायत से भी नहीं मिलता। इस बात को पूरी उम्मते मुस्लिमा मानती है। लिहाज़ा क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर फुक़हा खास कर (इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम) और उनके तमाम शागिद्रों शागिर्दों की मुत्तफक़ अलैह राय भी यही है कि एक मजलिस में तीन तलाक़ देने पर तीन ही वाक़े होंगी।

आखिर में तमाम हज़रात से खुसूसी दरख्वास्त करता हूं कि मसाइल से वाक़फियत के बेगैर बिला वजह ईमेल भेज कर लोगों में अंदेशा पैदा न करें। उलमाए किराम के मुतअल्लिक़ कुछ लिखने से पहले क़ुरान करीम के मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला के फरमान का बखूबी मुतालआ फरमाएं "**अल्लाह तआला के बन्दों में उलमाए किराम ही सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला से डरते हैं।**" (सूरह फातिर 28) दूसरी दरख्वास्त यह है कि इस मौज़ू पर अगर कोई सवाल है तो ग्रुप पर भेजने के बजाए किसी आलिम से रुजू फरमाएं।

++++++++

सउदी अरब की मजलिसे किबारे उलमा का फैसला तीन तलाक़ तलाक़ देने से तीन ही तलाक़ पड़ती है

इब्तेदाइया

वह फुरूई और इख्तिलाफी मसाइल जिन पर इसरार व तशद्दुद को हमारे मुल्क के गैर मुक़ल्लिदीन ने अपना शेआर बना रखा है उनमें से एक मसअला तीन तलाक़ के एक होने का है। उन्हें इसरार है कि एक मजलिस में दी गई तीन तलाक़ एक ही होती है, यह मसअला आज कल फिरका परस्त और मुस्लिम दुशमन अनासिर के हाथों में कुछ इस तरह पहुंच गया है कि उन्होंने इसको मुस्लिम परसनल ला में तहरीफ व तरमीम के लिए नुक़्तए आगाज़ समझ लिया और उनवान यह बनाया गया कि इसके ज़रिया से मुस्लिम मुआशरे की इस्लाह हो सकेगी, फिर इसी बुनियाद पर यह मशवरा दिया जाने लगा कि जब क़दीम फतवा से इंहिराफ करके तलाक़ के मसअला में नया रास्ता इख्तियार किया जा सकता है तो क्यों न दूसरे मसाइल पर भी गौर किया जाए। हद तो यह है कि इस खालिस इल्मी व फिक़्ही मसअले को अखबारात ने बाज़ीचए अतफाल बना दिया है, हक़ीक़त यह है कि यह एक फितना है।

सउदी अरब के बड़े बड़े उलमा ने अपने एक इजलास में मौज़ू के तमाम गोशों पर बहस व मुनाक़शा करके फैसला किया है कि एक लफ्ज़ से दी गई तीन तलाक़ तीन ही होती है, यह बहस व मुनाक़शा और क़रारदाद रियाज़ के मजल्ला "अल बहूसूल इस्लामिया" जिल्द 1 के तीसरे शुमारे में शाये हुई है, इस बहस और क़रारदाद का तरजुमा अब से चंद साल पहले मुहद्दिसे जलील अबुल मआसिर हज़रत

मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी के ईमा पर (अल मुजम्मअ अल इल्मी मऊ) की जानिब से शाये हुआ था, चूंकि गैर मुक़ल्लिदीन सउदी अरब को अपना हम मसलक समझते हैं और अवामी सतह पर उनको बतौर हुज्जत पेश करते हैं, नीज़ इस्लाम दुशमन अनासिर भी बाज़ मसाइल में मुस्लिम मुमालिक का हवाला पेश करते हैं, इसलिए मौजूदा हालात की नज़ाकत के पेशे नज़र इसे दोबारा शाये किया जाता है। खुदा करे यह फितना ठंडा हो।

मुदीरुल मुजम्मअ अल इल्मी

मुखालफीन का नुक्ता-ए-नज़र

मुखालफीन की राय में बयक लफ्ज़ तीन तलाक़ देने से एक वाक़े होती है, सही रिवायत में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यही क़ौल मरवी है और सहाबए किराम में हज़रत जुबैर, इब्ने औफ, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबेईन में इकरमा व ताऊस वगैरह ने इसी पर फतवा दिया है।और इनके बाद मोहम्मद बिन इसहाक, फलास, हारिस अकली, इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहिम वगैरह ने भी इसके मुवाफिक़ फतवा दिया है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने इगासतुल लुहफान में निहायत सफाई के साथ यह लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा और किसी सहाबी से इस क़ौल की सही नक़ल हमको मालूम नहीं हुई। (इगासा 179/बहवाला इलाम मरफुआ/30) उनके दलाइल नीचे मौज़ूद हैं।

1) "**तलाक़ दो मरतबा है फिर ख्वाह रख लेना क़ायदे के मुवाफिक़ ख्वाह छोड़ देना खुश उनवानी के साथ।**" (सूरह बक़रह 229) आयत

की तौजीह यह है कि मशरू तलाक़ जिसमें शौहर का इख्तियार बकी रहता है, चाहे तो बीवी से रजअत करे या बिला रजअत उसे छोड़ दे यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए और बीवी शौहर से जुदा हो जाए वह दो बार है। चाहे हर मरतबा एक तलाक़ दे या बयक लफ्ज़ तीन तलाक़ दे, इसलिए कि अल्लाह तआला ने "दो मरतबा" कहा "दो तलाक़" नहीं कहा है। इसके बाद अगली आयत में फरमाया **फिर अगर तलाक़ दे दे औरत को तो फिर वह उसके लिए हलाल न रहेगी उसके बाद यहा तक कि वह उसके सिवा एक और शौहर के साथ निकाह कर ले।**" (सूरह बक़रह 230)

इस आयत से यह मालूम हुआ कि तीसरी मरतबा बीवी को तलाक़ देने से वह हराम हो जाती है, चाहे तीसरी मरतबा एक तलाक़ दी हो या बयक लफ्ज़ तीन तलाक़ दी हो। इस तक़रीर से मालूम हुआ कि मुतफर्रिक़ तौर पर तीन मरतबा तलाक़ देने की मशरूइयत हुई, लिहाज़ा एक मरतबा में तीन तलाक़ देना एक कहलाएगा और वह एक समझा जाएगा।

2) इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में बतरीक़े ताऊस इब्ने अब्बास से रिवायत किया है "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद और अबू बकर की खिलाफत और अहदे फारूक़ी के इब्तिदाई दो साल में तीन तलाक़ एक होती थी, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया लोगों ने एक ऐसे मामला में जिसमें मोहलत थी उजलत से काम लेना शुरू कर दिया है, अगर हम इसे यानी तीन तलाक़ को नाफिज़ कर देते तो अच्छा होता, पस इसे नाफिज़ कर दिया।" मुस्लिम में इब्ने अब्बास की एक दूसरी रिवायत में है कि "अबुस सहबा ने हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा क्या

आपको मालूम नहीं कि अहदे नबवी और अहदे सिद्दीक़ी और अहदे फारूक़ी के इब्तिदा में तीन तलाक़ एक थी। हज़रत इब्ने अब्बासने फरमाया कि हां, लेकिन जब लोगों ने बकसरत तलाक़ देना शुरू किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों का नाफिज़ कर दिया।”

यह हदीस बयक लफ्ज़ तीन तलाक़ के एक होने पर वज़ाहत के साथ दलालत करती है और यह हदीस मंसूख नहीं है, क्योंकि अहदे सिद्दीक़ी और अहदे फारूक़ी के इब्तिदाई दो साल में इस हदीस पर बराबर अमल जारी रहा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीन तलाक़ नाफिज़ करने की वजह यह बयान की है कि लोगों ने इसमें उजलत से काम लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने नस्ख का दावा नहीं किया, नीज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीन तलाक़ नाफिज़ करने में सहाबए किराम से मशवरा लिया और किसी ऐसी हदीसके छोड़ने में जिसका नस्ख हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हो सहाबए किराम से मशवरा नहीं करते।

मुखालफीन कहते हैं कि हदीस इब्ने अब्बास के जो जवाबात दिएगए हैं वह या तो पुरतकल्लुफ तावील है या बिला दलील लफ्ज़ को खिलाफे ज़ाहिर पर हमल करना है या शुज़ूज़ व इज़तिराब और ताऊस के ज़ईफ होने का ताना है, लेकिन इमाम मुस्लिम ने जब इस हदीस को अपनी सही में रिवायत किया है तो यह ताना नाकाबिले तसलीम है। इमाम मुस्लिम ने यह शर्त रखी है कि वह अपनी किताब में सिर्फ सही हदीस ही रिवायत करेंगे और फिर इस हदीस को मतऊन करने वाले इसी हदीस के आखिरी हिस्से को अपने क़ौल की हुज्जत बनाते हैं और यह कैसे हो सकता है कि हदीस का

आखिरी हिस्सा काबिले क़बूल हुज्जत हो और उसका इब्तिदाई हिस्सा इज़तिराब और रावी के जईफ की वजह से नाकाबिले हुज्जत हो और इससे भी ज़्यादा बईद बात यह है कि अहदे नबवी में तीन तलाक़ के एक होने पर अमल जारी रहा हो, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी जानकारी न रही हो जबकि क़ुरान करीम नाज़िल हो रहा था, अभी वही का सिलसिला बराबर जारी था और यह भी नहीं हो सकता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक पूरी उम्मत एक खता पर अमल करती रही हो। इन्ही फुसफुसी बातों में एक एक यह भी है कि हज़रत इब्ने अब्बास के फतवे को उनकी हदीस का मुआरिज़ ठहराया जाए, उलमाए हदीस और जमहूर फुक़हा के नज़दीक बशर्ते सेहत रावी की रिवायत ही का एतेबार होता है। इस के खिलाफ उसकी राय या फतवा का एतेबार नहीं होता। यह कायदा उन लोगों का भी है जो एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ से तीन नाफिज करते हैं। लोगों ने अहदे फारूकी में एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ेस तीन नाफिज होने पर इजमा का दावा किया है और हदीसे इब्ने अब्बास को इस इजमा का मुआरिज़ ठहराया है, हालांकि उन्हें मालूम है कि इस मसअला में सल्फ से खलफ तक और आज तक इख्तेलाफ चला आ रहा है।

हदीसे ज़ौजए रिफाआ कुर्जी से भी इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि सही मुस्लिम में साबित है कि उन्होंने अपनी बीवी को तीन तलाक़ों में आखरी तलाक़ दी थी और रिफाआ नज़री का अपनी बीवी के साथ इस जैसा वाक़या साबित नहीं कि वाक़यात बहुत से माने जाएें और इब्ने हजर ने तअद्दुदे वाक़या का फैसला नहीं किया उन्होंने

यह कहा है कि अगर रिफाआ नजरी की हदीस महफ़ूज़ होगी तो दोनों हदीसों से वाज़ेह होता है कि वाक़या बहुत हैं वरना इब्ने हजर ने इसाबा में कहा है "लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों वाक़या में दूसरे शौहर का नाम अब्दुर रहमान बिन जुबैर मुत्तहिद है।"

3) इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में बतरीक इकरमा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है "रुकाना बिन अब्दे यज़ीद ने अपनी औरत को एक मजलिस में तीन तलाक़ दी, फिर उस पर बहुत गमगीन हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरयाफ्त फरमाया तुमने कैसी तलाक़ दी है? कहा कि तीन तलाक़ दी है, पूछा कि एक मजलिस में? उन्होंने कहा हां! तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सिर्फ एक तलाक़ हुई अगर चाहो तो रजअत कर सकते हो, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने अपनी बीवी से रजअत भी कर लिया था।"

इब्ने क़य्यिम ने इलामुल मौकीन में कहा है कि इमाम अहमद इस हदीस के सनद की तसहीह व तहसीन करते थे। (हाफिज़ इब्ने हजर ने तलखीस में इस हदीस को ज़िक्र करके फरमाया यानी मुसनद अहमद वाली हदीस भी बहुत मजरूह व ज़ईफ है और हाफिज़ ज़हबी ने भी इसको अबू दाउद इबनुल हुसैन के मनाकिर में शुमार किया है, पस इस हालत में अगर इसकी इसनाद हसन या सही भी हो तो इस्तिदलाल नहीं हो सकता, इसलिए कि इसनाद की सेहत इस्तिदलाल की सेहत को मुस्तलजिम नहीं। (इलाम मरफुआ, और यह जो मरवी ई कि रुकाना ने लफ्ज़ "बत्तह" से तलाक़ दी थी उसे अहमद, बुखारी और अबू उबैद ने जईफ क़रार दिया ई। (इमाम शाफई, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान, हाकिम और

दारे कुतनी वगैरह ने हज़रत रुकाना से रिवायत किया है कि उन्होंने अपनी बीवी को लफ्ज़ "बत्तह" के साथ तलाक़ दी। हाफिज़ इब्ने हजर ने तलखीस/319 में लिखा है (सही अबू दाउद व इब्ने हिब्बान वलहाकिम) यानी इस हदीस को अबू दाउद, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सही कहा है। इब्ने माजा/149 में है कि मैंने अपने उस्ताद तनाफसी को यह फरमाते हुए सुना "मा अशरफ हाजल हदीस" यह हदीस कितनी शरीफ व बेहतर है। (इलाम मरफुआ 11)

4) इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम वगैरह ने बयान किया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और खिलाफते उमर के इब्तिदाई दो साल में एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ से एक ही समझा जाता रहा और जो फतवा सहाबा से इसके खिलाफ मरवी है वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तीन तलाक़ नाफिज़ करने के बाद के हैं। तीन तलाक़ नाफिज करने से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह इरादा नहीं था कि उसे एक मुस्तक़िल कायदा बना डालें जो हमेशा मुस्तमर रहे, उनका इरादा तो यह था कि जब तक दवाई व असबाब मौज़ूद हैं तीन तलाक़ को नाफिज क़रार दिया जाए, जैसा कि तगयीर हालात से बदलने वाले फतवा का हाल होता है और इमाम को इस वक़्त रिआया की ताज़ीर का हक़ भी है जिस वक़्त ऐसे मामलात में जिनके करने और छोड़ने का इनको इख्तियार है सुए तसर्रुफ पैदा हो जाए जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा के तौर पर जंगे तबूक में शिर्कत न करने वाले तीन सहाबा को एक वक़्त तक अपनी बीवियों से जुदा रहने का हुक्म दे दिया था बावज़ूद कि उनकी बीवियों से कोई गलती नहीं हुई थी या जैसे शराब नोशी की सजा में ज्यादती या ताजिरों की

नाजाएज़ नफा अंदोजी के वक़्त कीमतों की तायीन या जान व माल की हिफाज़त के लिए लोगों को खतरनाक रास्तों पर जाने से रोकना, बावज़ूद कि उन रास्तों पर हर एक को सफर करना मुबाह रहा हो।
5) पांचवीं दलील यह है कि तीन तलाक़ को लिआन की शहादतों पर क़यास किया जाए। अगर शौहर कहे मैं अल्लाह की चार शाहदत`दता हूं कि मैं अपनी औरत को जिना करते हुए देखा है तो उसे एक ही शहादत समझा जाता है लिहाज़ा जब अपनी बीवी से एक मरतबा में कहा कि मैं तुम्हें तीन तलाक़ देता हूं तो उसे एक ही तलाक़ समझा जाएगा और अगर इक़रार का तकरार किए बेगैर कहे कि जिना का चार मरतबा इक़रार करता हूं तो उसे एक ही इक़रार समझा जाता है यही हाल तलाक़ का भी है और हर वह बात जिस में क़ौल का तकरार मोतबर है, महज अदद ज़िक्र कर देना काफी न होगा, मसलन फर्ज़ नमाजों के बाद तसबीह व तहमीद वगैरह।
(शैख शंकीती ने इसका जवाब दिया है कि यह क़यास मअल फारिक है यानी सही नहीं है। इसलिए कि शौहर अगर लिआन की सिर्फएक ही शहादत पर इकतिफा करले तो वह बेकार क़रार दे दी जाती है जबकि एक तलाक़ बेकार नहीं क़रार दी जाती वह भी नाफिज हो जाती है। (अजवाउल बयान जिल्द 1 पेज 195)

जमहूर का मसलक - बयक वक़्त तीन तलाक़ देने से तीन वाक़े हो जाऐंगी यह जमहूर सहाबा व ताबेईन और तमाम अईम्मा मुजतहेदीन का मसलक है और इस पर उन्होंने किताब व सुन्नत और इजमा व क़यास से दलाइल क़ायम किए हैं। उनमें से अहम दलाइल नीचे लिखे गए हैं।

1) “ऐ नबी जब तुम औरतों को तलाक़ दो तो उनको उनकी इद्दत पर तलाक़ दो और इद्दत गिनते रहो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है, उनको उनके घरों से मत निकालो और वह भी न निकले मगर जो सरीह बेहयाई करें और यह अल्लाह की बांधी ुई हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदों से बढ़े तो उसने अपना बुरा किया उसको खबर नहीं कि शायद अल्लाह इस तलाक़ के बाद नई सूरत पैदा कर दे।“ (सूरह तलाक़ 1) इस आयत से यह मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने वह तलाक़ मशरू की है जिसके बाद इद्दत शुरू हो, ताकि तलाक़ देने वाला बाइख्तियार हो, चाहे तो उमदा तरीक़ा से बीवी को रख ले या खुबसूरती के साथ छोड़ दे। और यह इख्तियार अगरचे एक लफ्ज़ में रजअत से पहले तीन तलाक़ जमा कर देने ेस नहीं हासिल हो सकता लेकिन आयत के ज़िम्न में दलील मौज़ूद है कि यह तलाक़ भी वाक़े हो जाएगी अगर वाक़े न होती तो वह अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाला न कहलाता और न उसके सामने दरवाजा बन्द होता, जैसा कि इस आयत में इशारा है। “वमैय यत्तक़िल्लहि यजअल लहु मखरजन“ मखरज की तफसीर हज़रत इब्ने अब्बास ने रजअत की है। एक साइल के जवाब में जिसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे दी थी, आपने कहा कि अल्लाह तआला फरमाता है “और तुमने अल्लाह से खौफ नहीं किया“ लिहाज़ा मैं ुम्हारे लिए कोई छुटकारे की राह नहीं पाता हूं, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की और तुमसे तुम्हारी बीवी जुदा हो गइ।

इसमें कोई इख्तेलाफ नहीं कि जो शख्स अपनी औरत को तीन तलाक़ दे दे, वह खुद पर ज़ुल्म करने वाला है। अब अगर यह कहा जाए कि तीन तलाक़ से एक ही वाक़े होती है तो इसको अल्लाह से

डरना नहीं कहा जा सकता, जिसका हुकुम “वमैय यत्तक़िल्लाहि” में दिया गया है और जिसका इल्तिजाम करने से छुटकारे का रास्ता पैदा होती और न यह जालिम की सजा बन सकती है जो हुदूदूल्लाह से तजावुज करने वाला है तो गोया शारे ने एक मुंकर बात कहने वाले पर इसका असर मुरत्तब नहीं किया जो उसके लिए अक़ूबत बनता, जैसा कि बीवी से जिहार करने वाले पर बतौर सजा कफ्फारा लाज़िम होता है। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह तआला ने तीनों तलाक़ नाफिज करके तलाक़ देने वाले को सजा दी है और उसके सामने रास्ता मसदूद कर दिया है, इस लिए कि इसने अल्लाह से खौफ नहीं किया, खुद पर जुल्म किया और अल्लाह की हुदूद से तजावुज किया।

2) सहीहैन में हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे दी, उसने दूसरे से निकाह कर लिया, दूसरे शौहर ने खलवत से पहले तलाक़ दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अब पहले के लिए हलाल हो गई या नहीं? फरमाया कि नहीं तावक़्तकि दूसरा शौहर पहले की तरह सोहबत से लुत्फ अंदोज न हो पहले के लिए हलाल नहीं हो सकती।

बुखारी शरीफ ने यह हदीस ‘‘बाब मन इजाजुत तलाक़” के तहत ज़िक्र की है जिससे मालूम हुआ कि उन्होंने भी इससे यकजा तीन तलाक़ ही समझा है लेकिन इस पर यह एतेराज़ किया गया है कि यह रिफाआ कुर्जी के वाक़या का मुख्तसर है, जिसकी बाज़ रिवायात में आया है कि उन्होंने तीन तलाकों में से आखरी तलाक़ दी। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने एतेराज़ को इस तरह रद्द किया है कि रिफाआ कुर्जी के

अलावा भी एक सहाबी का ऐसा वाक़या अपनी बीवी के साथ पेश आया है और दोनों ही औरतों से अब्दुर रहमान इब्ने ज़ुबैर ने निकाह किया था और सोहबत से पहले ही तलाक़ दे दी थी, लिहाज़ा रिफाआ कुर्जी के वाक़या पर इस हदीस को महमूल करना बे दलील है। इसके बाद हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा है "इससे उन लोगों की गलती ज़ाहिर हो गई जो दोनों वाक़या को एक कहते हैं।"

जब हदीसे आइशा का हदीस इब्ने अब्बास के साथ तकाबुल किया जाए तो दो हाल पैदा होते हैं या तो दोनों हज़रात की हदीसमें तीन तलाक़ मजमूई तौर पर मुराद है या जुदा जुदा तौर अगर तीन तलाक़ यकजाई मुराद है तो हदीसे आइशा मुत्तफक़ अलैह होने की वजह से ऊला है और इस हदीस में तसरीह है कि वह औरत तीन तलाक़ की वजह से हराम हो गई थी और अब दूसरे शौहर से हमबिस्तरी के बाद पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है और अगर मुतफर्रिक़ तौर पर मुराद है तो हदीस इब्ने अब्बास में यकजाई तीन तलाकों के वाक़े न होने पर इस्तिदलाल सही नहीं है, इसलिए कि दावा तो यह है कि एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ से एक तलाक़ पड़ती है और हदीस इब्ने अब्बास में जुदा जुदा तलाकों का ज़िक्र है और यह कहना कि हदीसे आइशा में तीन तलाक़ जुदा जुदा और हदीसे अब्बास में मजमूई तौर पर मुराद है बिला वजह हैं। इसकी दलील मौज़ूद नहीं है।

1) हज़रत इब्ने उमर की हदीस इब्ने अबी शैबा, बैहक़ी, दारे कुतनी ने ज़िक्र की है।

2) हज़रत आइशा की एक हदीस दारे कुतनी ने रिवायत की है।

3) हज़रत मआज बिन जबल की हदीस भी दारे कुतनी ने रिवायत की है।

4) हज़रत हसन बिन अली की हदीस भी दारे कुतनी ने रिवायत की है।

5) आमिर शाबी से फातिमा बिन्ते कैस के वाक़या तलाक़ की हदीस इब्ने माजा ने रिवायत की है।

6) हज़रत उबादा बिन सामित की एक हदीस दारे कुतनी व मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मज़कूर है।

इन तमाम अहादीस से तीन तलाक़ का लाज़िम होना मफहूम होता है, तफसील के लिए देखें हजरतुल उस्ताज मुहद्दिसे जलील मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब का रिसाला एलाम मरफुआ 4-7।

3) बाज़ फुक़हा मसलन इब्ने क़ुदामा हमबली ने यह वजह बयान की है कि निकाह एक मिल्क है, जिसे जुदा तौर पर खत्म किया जा सकता है तो मजमूई तौर भी खत्म किया जा सकता है जैसा कि तमाम मिल्कियतों का यही हुकुम है। क़ुर्तुबी ने कहा है कि जमहूर की अकली दलील यह है कि अगर शौहर ने बीवी को तीन तलाक़ दी तो बीवी उसके लिए उस वक़्त हलाल हो सकती है जब किसी दूसरे शौहर से हमबिस्तर होले। इसमें लुगतन और शरअन पहले शौहर के तीन तलाक़ मजमूई या जुदा जुदा तौर पर देने में कोई फर्क़ नहीं है, फर्क़ महज सूरतन है जिसको शारे ने लगव क़रार दिया है, इसलिए शारे ने इत्क, इक़रार और निकाह को जमा और तफरीक की सूरत में बराबर रखा है। आका अगर बयक लफ्ज़ कहे कि मैंने इन तीनों औरतों का निकाह तुमसे कर दिया तो निकाह हो जाता है जैसे अलग अलग यूं कहे कि इसका और इसका निकाह तुमसे कर दिया तो

निकाह हो जाता है। इसी तरह अगर कहे कि मैंने इन तीनों गुलामों को आजाद कर दिया तो सबकी आज़ादी नाफिज हो जाएगी जैसे अलग अलग यूं कहे कि मैंने इसको और इसको और इसको आजाद किया तो सब की आज़ादी नाफिज हो जाती है। यही हाल इक़रार का भी है। इससे मालूम हुआ कि जमा तफरीक में कोई फर्क़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यकजाई तीन तलाक़ देने वाले को अपना इख्तियार जाये करने में इंतिहा पसंदी पर मुलाज़मत का मुस्तहिक़ ठहराया जा सकता है।

4) बाज़ मुखालफीन के अलावा तमाम अहले इल्म इत्तेफाक़ है कि हाजिल की तलाक़ हज़रत अबू हुरैरा रजी अन्हु वगैरह की उस हदीस से वाक़े हो जाती है जिसे तमाम उम्मत ने क़बूल किया है। "तीन चीजें हैं जिनका वाकई भी हक़ीक़त है और मजाक भी हक़ीक़त है, तलाक़, निकाह और रजअत" मजाक में तलाक़ देने वाले का दिलभी इरादा के साथ तलाक़ का ज़िक्र करता है लिहाज जो तलाक़ एक से ज़ायद होगी वह मुसम्मा तलाक़ से खारिज नहीं होगी बल्कि वह भी सरीह तलाक़ होगी और तीन तलाक़ को एक समझना गोया बाज़ अदद को जेरे अमल ला कर बाकी को छोड़ देना है, लिहाज़ा यह जाएज़ न होगा।

5) यकजाई तीन तलाक़ देने से तीन वाक़े होना अक्सर अहले इल्म का क़ौल है, इसी को हज़रत उमर, उसमान, अली, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह असहाबे रसूल ने इख्तियार किया है और चारों अईम्मा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम के अलावा दूसरे फुक़हा मुजतहिदीन इब्ने अबी लैला औजाई

वगैरह भी इसी के क़ायल हैं। इब्ने अब्दुल हादी ने इब्ने रजब से नक़ल किया है कि मेरे इल्म में किसी सहाबी और किसी ताबेई और जिन अईम्मा के अक़वाल हलाल व हराम के फतवा में मोतबर हैं उनमें से किसी से कोई ऐसी सरीह बात साबित नहीं जो बयकलफ्ज़ तीन तलाक़ के एक होने पर दलालत करे, खुद इब्ने तैमिया ने तीन तलाक़ के हुकुम में मुख्तलिफ अक़वाल पेश करने के दौरान कहा-

दूसरा मजहब यह है कि यह तलाक़ हराम है और लाज़िम व नाफिज है यही इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद का आखरी क़ौल है, उनके अक्सर शागिर्द ने इसी क़ौल को इख्तियार किया है और यही मजहब सलफे सहाबा व ताबेईन की एक बड़ी तादाद से मंकूल है।

और इब्ने क़य्यिम ने फरमाया "हमारे उलमा ने फरमाया कि या तमाम फतवा एक लफ्ज़ से तीन तलाक़ के लाज़िम होने पर मुत्तफिक़ हैं और यही जमहूर सलफ का क़ौल है।" इब्ने अरबी ने अपनी किताब अल नासिख वल मंसूख में कहा है और इसे इब्ने क़य्यिम ने भी तहजीबुस सुनन में नक़ल किया है। "अल्लाह तआला फरमाता है तलाक़ दो मरतबा है" आखिर ज़माना में एक जमाअतने लगजिश खाई और कहने लगे एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ से तीन नाफिज नहीं होती, उन्हों ने इसको एक बना दिया और इस क़ौल को सलफे अव्वल की तरफ मंसूब कर दिया। अली, जुबैर, इब्ने औफ, इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत किया और हज्जाज बिन अरतात की तरफ रिवायत की निसबत कर दी, जिनका मरतबा व मक़ाम कमजोर और मजरूह है, इस सिलसिला में एक रिवायत की गई जिसकी कोई असलियत नहीं।" उन्होंने यहां तक

कहा है कि "लोगों ने इस सिलसिला में जो अहादीस सहाबा के तरफ मंसूब की हैं वह महज इफतिरा है, किसी किताब में इसकी असल नहीं और न किसी से इसकी रिवायत साबित है।" और आगे कहा "हज्जाज बिन अरतात की हदीस न उम्मत में मक़्बूल है और न किसी इमाम के नज़दीक हुज्जत है।"

6) हदीस इब्ने अब्बास के जवाबात - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस पर कि "अहदे नबवी, अहदे सिद्दीकी और अहदे फारूकी के इब्तिदाई दो साल में तीन तलाक़ एक थी"कई इतेराजात वारिद होते जिनकी बिना पर इस हदीस से इस्तिदलाल कमजोर पड़ जाता है।

(क) इस हदीस के सनद व मतन में इजतिराब है, सनद में इजतिराब यह है कि कभी "अन ताऊस अन इब्ने अब्बास" कहा गया कभी "अन ताऊस अन अबीस सुहबा अन इब्ने अब्बास" और कभी अन अबील ज़ौजा अन इब्ने अब्बास" आया है।

मतन में इजतिराब यह है कि अबुस सुहबा ने कभी इन अल्फाज़ में रिवायत किया है "किया आपको मालूम नहीं कि मर्द जब मुलाक़ात से पहले अपनी बीवी को तीन तलाक़ देता था तो लोग उसे एक शुमार करते थे" और कभी इन अल्फाज़ में रिवायत किया है "किया आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इब्तिदाई दौरे खिलाफत में तीन तलाक़ एक थी।"

(ख) हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करने में ताऊस अकेले हैं और ताऊस में कलाम है, इसलिए कि वह हज़रत इब्ने अब्बास से

मनाकिर रिवायत करते हैं। क़ाजी इसमाइल ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में कहा है कि ''ताऊस अपने फजल व तक़वा के बावज़ूद मुंकर बातें रिवायत करते हैं और उन्हीं में से यह हदीस भी है।" इब्ने अय्युब से मंकूल है कि वह ताऊस की कसरते खता पर तअज्जुब करते थे। इब्ने अब्दुल बर मालिकी ने कहा कि ''ताऊस इस हदीस में अकेला हैं।" इब्ने रजब ने कहा कि ''उलमा अहले मक्का ताऊस के शाज अक़वाल का इंकार करते थे।" कुर्तुबी ने अब्दुर बर से नक़ल किया है कि ''ताऊस की रिवायत वहम और गलत है, हिजाज, शाम और मगरिब के किसी फकीह ने उस पर इतिमाद नहीं किया है।"

(ग) बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि हदीस दो वजह से शाज है, एक तो इस वजह से कि इसकी रिवायत करने में ताऊस अकेले हैं और कोई उनका मुताबे नहीं। इमाम अहमद ने इब्ने मंसूर की रिवायत में कहा है कि ''इब्ने अब्बास के तमाम तलामिजा ने ताऊस के खिलाफ रिवायत किया है" जौज़जानी ने कहा है कि ''यह हदीस शाज है" इब्ने अब्दुल हादी ने इब्ने रजब से नक़ल किया है कि ''मैंने बड़ी मुद्दत तक इस हदीस की तहकीक का एहतेमाम किया, लेकिन इसकी कोई असल न पा सका।"

शाज होने की दूसरी वजह वह है कि जिसको बैहक़ी ने ज़िक्र किया है उन्होंने इब्ने अब्बास से तीन तलाक़ लाज़िम होने की रिवायत ज़िक्र करके इब्नुल मुंजिर से नक़ल किया है कि ''वह इब्ने अब्बास के बारे में यह गुमान नहीं करते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कोई बात महफ़ूज़ की हो और फिर उसके खिलाफ फतवा दें।" इब्ने तरकमानी ने कहा कि ''ताऊस कहतेथे कि

अबू सुहबा मौला इब्ने अब्बास ने इन तीन तलाकों के बारे में पूछा था लेकिन इब्ने अब्बास से यह रिवायत इसलिए सही नहीं मानी जा सकती कि सिकात खुद उन्हीं से इसके खिलाफ रिवायत करते हैं और अगर सही भी हो तो उनकी बात उनसे ज़्यादा जानने वाले जलीलुल कदर सहाबा हज़रत उमर, हज़रत उसमान, हज़रत अली, इब्ने मसूद, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह पर हुज्जत नहीं हो सकती।“

हदीस में शजूज ही की वजह से दो जलीलुल कदर मुहद्दिसों ने इस हदीस से एराज किया है। इमाम अहमद ने असरम और इब्ने मंसूर से कहा कि मैंने इब्ने अब्बास की हदीस जानबूझ कर छोड़ दी। इसलिए कि मेरी राय में इस हदीस से यकजाई तीन तलाक़ के एक होने पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि हुफ्फाजे हदीस ने इब्ने अब्बास से इसके खिलाफ रिवायत किया है और बैहक़ी ने इमाम बुखारी से नक़ल किया है कि उन्होंने हदीस को इसी वजह से जानबूझ छोड़ दिया जिसकी वजह से इमाम अहमद ने छोड़ा था और उसमें कोई शुबहा नहीं कि यह दो इमाम फन्ने हदीस को इसी वक़्त छोड़ सकते हैं जब कि छोड़ने का सबब रहा हो।

(ध) हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस एक ही इजतिमाई हालत बयान करती है जिसका इल्म तमाम मुआसरीन को होना चाहिए था और बहुत से तरीकों से उसके नक़ल के काफी असबाब होने चाहिए थे, जिसमें इख्तेलाफ की गुंजाइश न होती, हालांकि इस हदीस को इब्ने अब्बास से बतरीक अहाद ही रिवायत किया गया है, इसे ताऊस के अलावा किसी ने रिवायत नहीं किया है जबकि वह मनाकिर भी रिवायत करते हैं।

जमहूर उलमाए उसूल ने कहा है कि अगर खबरे अहाद के नक़ल के असबाब ज़्यादा हों तो महज किसी एक शख्स का नक़ल करना उसके अदमे सेहत की दलील है। साहब जमउल जवामि ने खबर के अदमे सेहत के बयान में इस खबर को भी दाखिल किया है जो नक़ल के असबाब ज़्यादा होने के बावज़ूद बतरीक अहाद नक़ल की गई हो। इब्ने हाजिब ने मुख्तसरूल उसूल में कहा है- "जब तन्हा कोई शख्स ऐसी बात नक़ल करे, जिसके नक़ल के असबाब काफी थे, उसके नक़ल में एक बड़ी जमाअत उसके साथ शरीक होनी चाहिए थी, मसलन वह तन्हा बयान करे कि शौहर की जामे मस्जिद में मिम्बर पर खुतबा देने की हालत में खतीब को क़त्ल कर दिया गया तो वह झूठा है, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी।"
जिस बात पर अहदे नबवी, अहदे सिद्दीकी और अहदे फारूकी में तमाम मुसलमान बाकी रहे हों तो उसके नक़ल के काफी असबाब होंगे, हालांकि इब्ने अब्बास के अलावा किसी सहाबी से इसके बारे में एक हर्फ भी मंूकल नहीं (और इसको भी हज़रत इब्ने अब्बास ने अबुस सहबा के तलकीन करने पर बयान किया है) सहाबए किराम की खामोशी दो बात पर दलालत करती है। या तो हदीस इब्ने अब्बास में तीनों तलाकें बयक लफ्ज़ न मानी जाएें, बल्कि उसकी सूरत यह है कि बयक लफ्ज़ तीन अल्फाज़ में तीन तलाक़ दी गई और लफ्जे तकरार ताकीद पर महमूल किया जाए या यह हदीस सही नहीं इसलिए कि नक़ल के काफी वसाइल होने के बावज़ूद अहाद ने इसे रिवायत किया है।
(ड) जब इब्ने अब्बास जानते थे कि अहदे नबवी, अहदे सिद्दीकी और अहदे फारूकी के इब्तिदाई दौर में तीन तलाक़ एक समझी जातीथी

तो उसके सलाह व तक़वा, इल्म व इस्तिकामत, इत्तिबा-ए-सुन्नत और बरमला हक़गोई के पेशे नज़र यह नहीं सोचा जा सकता कि उन्होंने यकजाई तीन तलाक़ से तीन नाफिज करने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुकुम की इत्तिबा की होगी। तमत्तो हज, दो दिनार के बदला एक दिनार की खरीद व फरोख्त, उम्मे वल्द की खरीद व फरोख्त वगैरह के मसाइल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका इख्तेलाफ पोशिदा नहीं लिहाज़ा किसी ऐसे मसअला मेंवह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुवाफिकत कैसे कर सकते हैं जिसके खिलाफ वह खुद रिवायत करते हों, तमत्तो हज के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका जो इख्तेलाफ हुआ है इस सिलसिला में उनका यह मशहूर क़ौल उनकी बरमला हक़गोई की वाज़ेह दलील है, उन्होंने फरमाया कि "क़रीब है कि तुम पर आसमान से पत्थर बरसें, मैं कहता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम लोग कहते हो अबू बकर ने कहा, उमर ने कहा।"

(न) अगर इब्ने अब्बास की हदीस को सही तसलीम कर लिया जाए तो पहले ज़माने में सहाबए किराम के सलाह व तक़वा, इल्म व इस्तिकामत और गायते इत्तिबा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तीन तलाकों को एक जानते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुकुम क़बूल कर लिया होगा, उसके बावज़ूद किसी से बसनद सही यह साबित नहीं कि उसने हदीस इब्ने अब्बास के मुताबिक़ फतवा दिया हो।

(च) मुखालफीन का कहना है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीन तलाक़ के निफाज का हुकुम सजा के तौर पर जारी किया था,

इसलिए कि ऐसे काम में जिस पर बड़े गौर व फिक्र के बाद इकदम करना चाहिए था लोगों ने उजलत से काम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन यह बात तसलीम करना मौजिबे इशकाल है, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैस मुत्तकी आलिम व फकीह कोई ऐसी सजा कैसे जारी कर सकता है जिसके असरात मुस्तहिक्के सजा तक ही महदूद रहते बल्कि दूसरी तरफ (यानी बीवी की तरफ) भी पहुंचते हैं। हराम फरज (शरमगाह) को हलाल करना और हलाल फरज (शरमगाह) को हराम करना और हूकूके रजअत वगैरह के मसाइल उस पर मुरत्तब होते हैं।

मजलिस का फैसला - मज्लिसे हैय्यत किबारे उलमा ने जो फैसला किया है उसके अल्फाज़ यह हैं:

मसअला मौज़ूआ के मुकम्मल मुतालआ, तबादला ख्याल और तमाम अक़वाल का जायजा लेने और उन पर वारिद होने वाले एतेराज़ पर जरह व मुनाक्शा के बाद मजलिस ने अक्सरीयत के साथ एक लफ्ज़ की तीन तलाक़ से तीन वाक़े होने का क़ौल इख्तियार किया। लजना दाईमा ने तीन तलाक़ के मसअला में जो बहस तैयार की है उसेक आखिर में नीचे की जैल अराकीने मजलिस के दस्तखत भी मौजूद हैं।

1) अब्राहिम बिन मोहम्मद आले शौख	सदर लजना
2) अब्दुर रज्जाक अफीफी	नाइब सदर
3) अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान बिन गजयान	उज्व मजलिस
4) अब्दुल्लाह बिन सुलैमान मनी	उज्व मजलिस

तम्बीह

इस मजलिस के जिन उलमा ने तीन तलाक़ को एक क़रार दिया है उन्होंने सिर्फ इस सूरत का यह हुकुम बयान किया है "जब कोई शख्स यूं तलाक़ दे कि मैंने तीन तलाक़ दी (या दिया) लेकिन जब कोई यूं कहे कि मैंने तलाक़ दिया, मैंने तलाक़ दिया, मैंने तलाक़ दिया तो इस सूरत में वह भी नहीं कहते कि एक तलाक़ पड़ेगी। (यानी इस सूरत में उनके नज़दीक भी तीन तलाक़ वाक़े होगी)

इद्दत के मसाइल

इद्दत के मानी

इद्दत के मानी शुमार करने और गिनने के हैं जबकि इस्तिलाह में इद्दत उस मुअय्यन मुद्दत को कहते हैं जिसमें शौहर की मौत या तलाक़ या खुलअ की वजह से मियां बीवी के दरमियान जुदाएगी होने पर औरत के लिए बाज़ शरई अहकामात की पाबन्दी लाज़िम हो जाती हैं औरत के फितरी अहवाल के इख्तेलाफ की वजह से इद्दतकी मुद्दत मुख्तलिफ होती है जिसका तफसीली बयान आगे रहा है।

इद्दत की शरई हैसियत

क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ हैं कि शौहर की मौत या तलाक़ या खुलअ की वजह से मियां बीवी के दरमियान जुदाएगी होने पर औरत के लिए इद्दत वाजिब (फर्ज़) है।

इद्दत दो वजहों से वाजिब होती है

1) शौहर की मौत के वजह से

अगर शौहर के इंतिक़ाल के वक़्त बीवी हामला है तो बच्चा पैदा होने तक इद्दत में रहेगी, चाहे उसका वक़्त चार माह और दस दिन से कम हो या ज़्यादा। जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाता है "हामला औरतों की इद्दत उनके बच्चा पैदा करने तक है।" (सूरह तलाक़ 4) इस आयत के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि हर हामला औरत की इद्दत यही है चाहे वह मुतल्लक़ा हो या बेवा जैसा कि अहादीस की किताबों में वज़ाहत के साथ मौज़ूद है।

हमल न होने की सूरत में शौहर के इंतिक़ाल की वजह से इद्दत 4 महीने और 10 दिन की होगी चाहे औरत को माहवारी आती हो या नहीं, खलवते सहीहा (सोहबत) हुई हो या नहीं जैसा कि अल्लाह तअला का इरशाद है "तुममें से जो लोग फौत हो जाऐं और बीवियां छोड़ जाएं तो वह औरतें अपने आपको 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें" (सूरह बक़रह 234)

2) तलाक़ या खुलअ की वजह से

बाज़ नागुज़ीर हालात में कभी कभी इज़देवाजी ज़िन्दगी का खत्म कर देना सिर्फ मियां बीवी के लिए बल्कि दोनों खानदानों के लिए बाइसे राहत होता है, इसलिए शरीअते इस्लामिया ने तलाक़ और फस्खे निकाह (खुलअ) का क़ानून बनाया है जिसमें तलाक़ का इख्तियार सिर्फ मर्द को दिया गया है, क्योंकि इसमें आदतन व तबअन औरत के मुक़ाबले फिक्र व तदब्बुर और बर्दाशत की क़ुव्वत ज़्यादा होती है जैसा कि क़ुरान में ज़िक्र किया गया है। लेकिन औरत को भी इस हक़ से बिल्कुल महरूम नहीं किया गया है, बल्कि उसे भी यह हक़ दिया गया है कि वह अदालत में अपना मौक़िफ पेश करके क़ानून के मुताबिक़ तलाक़ हासिल कर सकती है जिसको खुलअ कहा जाता है। अगर तलाक़ या खुलअ के वक़्त बीवी हामला है तो बच्चा पैदा होने तक इद्दत में रहेगी चाहे तीन महीना से कम मुद्दत में ही विलादत हो जाए जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "हामला औरतों की इद्दत उनके बच्चा पैदा करने तक है।" (सूरह तलाक़ 4)

(नोट) अगर शौहर के इंतिक़ाल या तलाक़ के कुछ दिनों बाद हमल का इल्म हो तो इद्दत बच्चा पैदा होने तक ही रहेगी चाहे यह मुद्दत 9 महीने की ही क्यों न हो।
अगर तलाक़ या खुलअ के वक़्त औरत हामला नहीं है तो माहवारी आने वाली औरत के लिए इद्दत 3 हैज़ (माहवारी) रहेगी। जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "मुतल्लक़ा औरतें अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें।" (सूरह बक़रह 228)

(नोट) तीसरी माहवारी खत्म होने के बाद इद्दत पूरी होगी। औरतों के अहवाल की वजह से यह इद्दत 3 महीने से ज़्यादा या 3 महीने से कम भी हो सकती है।
जिन औरतों को उम्र ज़्यादा होने की वजह से हैज़ आना बन्द हो गया हो या जिन्हें हैज़ आना शुरू ही न हुआ तो तलाक़ की सूरत में उनकी इद्दत तीन महीने होगी जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान पाक में इरशाद फरमाया "तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हैं अगर तुम उनकी इद्दत की तायीन में शुबहा हो रहा है तो उनकी इद्दत तीन महीना है और इसी तरह जिन औरतों को हैज़ आया ही नहीं हे उनकी इद्दत भी तीन महीना है।" (सूरह तलाक़ 4)
निकाह के बाद लेकिन खलवते सहीहा (सोहबत) से पहले अगर किसी औरत को तलाक़ दे दी जाए तो उस औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "ऐ ईमान वालो! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने (सोहबत करने) से पहले ही तलाक़ दे दो तो उन औरतों पर

तुम्हारा कोई हक़ इद्दत का नहीं है जिसे तुम शुमार करो।" (सूरह अहजाब 49) यानी खलवते सहीहा से पहले तलाक़ की सूरत में औरत के लिए कोई इद्दत नहीं हैं।

(नोट) निकाह के बाद लेकिन खलवते सहीहा (सोहबत) से पहले शौहर के इंतिक़ाल की सूरत में औरत के लिए इद्दत है। सूरह बक़रह की आयत 234 के उमूम और दूसरी अहादीसे सहीहा की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा इस पर मुत्तफिक़ हैं।

(नोट) निकाह के बाद लेकिन खलवते सहीहा से पहले तलाक़ देने की सूरत में आधे महर की अदाएगी करनी होगी। (सूरह बक़रह 237)

इद्दत की मसलेहतें

इद्दत की बहुत सी दुनियावी व उखरवी मसलिहतें हैं जिनमें से बाज़ यह हैं:

1) इद्दत से अल्लाह तआला की रज़ामंदी का हुसूल होता है, क्योंकि अल्लाह तआला के हुकुम को बजालाना इबादत है और इबादत से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है।

2) इद्दत को वाजिब क़रार देने की अहम मसलेहत इस बात का यक़ीन हासिल करना है ताकि पहले शौहर का कोई भी असर बच्चेदानी में न रहे और बच्चे के नसब में कोई शुबहा बाकी न रहे।

3) निकाह चूंकि अल्लाह तआला की एक अज़ीम नेमत है, इसलिए इसके ज़वाल पर इद्दत वाजिब क़रार दी गई।

4) निकाह के बुलंद मक़सद की मारेफत के लिए इद्दत वाजिब क़रार दी गई, ताकि इंसान इसको बच्चों का खेल न बना ले।

5) शौहर के इंतिक़ाल की वजह से घर/खानदान में जो एक खलापैदा हुआ है उसकी याद कुछ मुद्दत तक बाकी रखने की गरज़ से औरत के लिए इद्दत ज़रूरी क़रार दी गई।

चन्द दूसरे मसाइल

— हामला औरत (मुतल्लक़ा या बेवा) की इद्दत हर सूरत में बच्चा पैदा होने तक या हमल के साक़ित होने तक रहेगी।

— शौहर की वफात या तलाक़ देने के वक़्त से इद्दत शुरू हो जाती है चाहे औरत को शौहर के इंतिक़ाल या तलाक़ की खबर बाद में पहुंची हो।

— मुतल्लक़ा या बेवा औरत को इद्दत के दौरान बेगैर किसी उज्र के घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए।

— किसी वजह से शौहर के घर इद्दत गुज़ारना मुश्किल हो तो औरत अपने मैके या किसी दूसरे घर में भी इद्दत गुज़ार सकती है। (सूरह तलाक़ 1)

— औरत के लिए इद्दत के दौरान दूसरी शादी करना जाएज़ नहीं है, अलबत्ता रिश्ते का पैगाम औरत को इशारतन दिया जा सकता है। (सूरह बक़रह 234, 235)

— जिस औरत के शौहर का इंतिक़ाल हो जाए तो उसको इद्दत के दौरान खुशबू लगाना, सिंगार करना, सुरमा और खुशबू का तेल बेगैर किसी ज़रूरत के लगाना, मेंहदी लगाना और ज़्यादा चमक दमक वाले कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है।

— अगर चांद की पहली तारीख को शौहर का इंतिक़ाल हुआ है तब तो यह महीने चाहे 30 के हों या 29 के हों चांद के हिसाब से पूरे किए जाएंगे और 11 तारीख को इद्दत खत्म हो जाएगी।
— अगर पहली तारीख के अलावा किसी दूसरी तारीख में शौहर का इंतिक़ाल हुआ है तो 130 दिन इद्दत रहेगी। उलमा की दूसरी राय यह है कि जिस तारीख में इंतिक़ाल हुआ है उस तारीख से चार महीने के बाद 10 दिन बढ़ा दिए जाएं मसलन 15 मुहर्रमुल हराम को इंतिक़ाल हुआ है तो 26 जुमादल उला को इद्दत खत्म हो जाएगी।
— अगर औरत शौहर के इंतिक़ाल या तलाक़ की सूरत में इद्दत न करे या इद्दत तो शुरू की मगर पूरी न की तो वह अल्लाह तआला के बनाए हुए क़ानून को तोड़ने वाली कहलाएगी जो बड़ा गुनाह है, लिहाज़ा अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार करके ऐसी औरत के लिए इद्दत को पूरा करना ज़रूरी है।
— इद्दत के दौरान औरत के मुकम्मल नान व नफक़ा (खाने पीने का खर्च) का जिम्मेदार शौहर ही होगा।

निकाह एक नेमत, तलाक एक ज़रूरत और इद्दत हुकमे इलाही

‘निकाह (नेमत)

निकाह अल्लाह की एक अज़ीम नेमत है, जब यह रिशता क़ायम किया जाता है तो इसमें पायेदारी व दवाम मक़सूद होता है। अल्लाह तआला निकाह के मक़सद को इस तरह बयान फरमाता है “और उसी की निशानियों में है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स की बीवियाँ बनाईं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे (यानी मियाँ बीवी के दरमियान) मोहब्बत पैदा कर दी’ (सूरह अल रूम 21)।

अल्लाह तआला ने बहुत सी हिकमतों और मसलेहतों के पेशे नज़र निकाह को जाएज़ क़रार दिया, मिन जुमला इन मसालेह व हिकम के एक हिकमत यह भी है कि इस रूए ज़मीन पर नौऐ इंसानी, इसलाहे अरज़ और इक़ामते शराये के लिए उसकी नायब बन कर क़यामत तक बाक़ी रहे और यह मसलेहतें उसी वक्त सच हो सकती है जबकि उनकी बुनियाद मज़बूत और मुस्तहकम सतूनों पर हों, और वह है निकाह। वैसे तो नस्ले इंसानी का वजूद मर्द व औरत के मिलाप से मुमकिन था, ख्वाह वह मिलाप किसी भी तरह का होता, लेकिन इस मिलाप से जो नस्ल वजूद में आती वह इसलाहे अरज़ और इक़ामते शराये के लिए मौज़ू और मुनासिब न होती, न कनसल से ही वजूद में आ सकती है।

इस्लामी तालीमात का तक़ाजा है कि निकाह का मामला उम्र भर के लिए किया जाये और इसको तोड़ने और खतम करने की नौबत ही न आये क्योंकि इस मामला के टूटने का असर न सिर्फ मियां बीवी पर ही पड़ता है बल्कि औलाद की बरबादी और बाज़

खान्दानों में झगड़े का सबब बनता है। जिससे पूरा मुआशरा मुतअस्सिर होता है। इसलिए शरीअते इस्लामिया ने दोनों मियां बीवी को हिदायत दी हैं जिन पर अमल पैरा होने से यह रिश्ता ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम होता है।

अगर मियां बीवी के दरमियान इख्तेलाफ रूनुमा हों तो सबसे पहले दोनों को मिल कर इख्तेलाफ दूर करने चाहिए। अगर बीवी की तरफ से कोई ऐसी सूरत पेश आये जो शौहर के मिज़ाज के खिलाफ हो तो शौहर को हूकुम दिया गया कि इफहाम व तफहीम और तम्बीह से काम ले। दूसरी तरफ शौहर से भी कहा गया कि बीवी को महज़ नौकरानी और खादमा न समझे बल्कि उसके भी कुछ हुकूक़ हैं जिनकी पासदारी शरीअत में ज़रूरी है। इन हुक़ूक़ में जहाँ नान व नफ्का और रिहाइश का इंतिज़ाम शामिल है वहीं उसकी दिलदारी और राहत रसानी का ख्याल रखना भी जरूरी है। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वह है जो अपने घर वालों (यानी बीवी बच्चों) की नज़र में अच्छा हो। और ज़ाहिर है कि उन की नज़र में अच्छा वही होगा जो उनके हुकूक की अदाएगी करने वाला हो।

तलाक़ (ज़रूरत)

अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तेलाफ दूर न हों तो दोनों खान्दान के चन्द अफराद को हकम बना कर मामला तैय करना चाहिए। गर्जकि हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि अज़दवाजी रिश्ता टूटने न पाये, लेकिन बाज औकात मियाँ बीवी में सुलह मुश्किल हो जाती है जिसकी वजह से दोनों का मिलकर रहना एक अज़ाब बन जाता है तो ऐसी सूरत में अज़दवाजी तअल्लुक को खत्म

करना ही तरफैन के लिए मुनासिब मालूम होता है। इसी लिए शरीअते इस्लामिया ने तलाक को जायज़ करार दिया है। तलाक मियाँ बीवी के दरमियन निकाह के मुआहिदा को तोड़ने का नाम है। जिसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि दो अहम शरायत के साथ सिर्फ एक तलाक दे दी जाये।

(1) औरत पाकी की हालत में हो।

(2) शौहर औरत की ऐसी पाकी की हालत में तलाक दे रहा होकि उसने बीवी से हमबिस्तरी न की हो। सिर्फ एक तलाक देने परइद्दत के दौरान रजअत भी की जा सकती है, यानी मियाँ बीवी वाले तअल्लुकात किसी निकाह के बेगैर दोबारा बहाल किये जा सकते हैं। इद्दत गुजरने के बाद अगर मियाँ बीवी दोबारा निकाह करना चाहें तो निकाह भी हो सकता है। नीज़ औरत इद्दत के बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह भी कर सकती है। गर्जकि इस तरह तलाक वाके होनेके बाद भी अज़दवाजी सिलसिला को बहाल करना मुमकिन है और औरत इद्दत के बाद दूसरे शख्स से निकाह करने का मुकम्मल इख्तियार भी रखती है।

तलाक का इख्तियार मर्द को

मर्द में आदतन व तबअन औरत की ब निसबत फिक्र व तदब्बुर और बरदाशत व तहम्मुल की कुव्वत ज़्यादा होती है, नीज़ इंसानी खिलकत, फितरत, कुव्वत और सलाहियत के लिहाज़ से और अकल के ज़रिया इंसान गौर व खौज़ करे तो यही नज़र आयेगा कि अल्लाह तआला ने जो कुव्वत मर्द को अता की है, बड़े बड़े काम करने की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है वह औरत को नहीं दी गई। लिहाजा इमारत और सरबराही का काम सही तौर पर मर्द ही

अंजाम दे सकता है। इस मसअला के लिए अपनी अकल से फैसला करने के बजाये उस ज़ात से पूछें जिसने इन दोनों को पैदा किया है। चुनांचे खालिके काएनात ने कुरान करीम में वाजेह अल्फाज़ के साथ इस मसअला का हल पेश कर दिया है। इन आयात में अल्लाह तआला ने वाजेह अल्फाज़ में जिक्र फरमा दिया कि मर्द ही जिन्दगी के सफर का सरबराह रहेगा और फैसला करने का हक मर्द ही के हासिल है अगरचे मर्द को चाहिए कि औरत को अपने फैसलों में शामिल करे। इसी वजह से शरीअते इस्लामिया ने तलाक देने का इख्तियार मर्द को दिया है।

खुला- लेकिन औरत को मजबूर नहीं बनाया कि अगर शौहर बीवी के हुकूक का पूरा हक अदा नहीं कर रहा है या बीवी किसी वजह से उसके साथ अज़दवाजी रिश्ता को जारी नहीं रखना चाहती तो औरत को शरीअते इस्लामिया ने यह इख्तियार दिया है कि वह शौहर से तलाक का मुतालबा करे। अगर औरत वाकई मज़लूमा है तो शौहर की शरई जिम्मेदारी है कि उसके हुकूक की अदाएगी करे वरना औरत के मुतालबा पर उसे तलाक दे दे ख्वाह माल के बदले या बेगैर माल के। लेकिन अगर शौहर तलाक देने से इंकार कर रहा है तो बीवी को शरई अदालत में जाने का हक़ हासिल है ताकि मसअला का हल न होने पर काज़ी शौहर को तलाक देने पर मजबूर करे। इस तरह अदालत के जरिया तलाक वाके हो जायेगी और औरत इद्दत गुजार कर दूसरी शादी कर सकती है। खुला का शकल में तलाके बायन पड़ती है यानी अगर दोनों मियाँ बीवी दोबारा एक साथ रहना चाहें तो रजअत नहीं हो सकती बल्कि दोबारा निकाह ही करना होगा जिसके लिए तरफैन की इजाज़त जरूरी है।

तलाक की किसमें

आम तौर पर तलाक की तीन किसमें की जाती हैं।

(1) तलाके रजई

(2) तलाके बायन

(3) तलाके मुगल्लज़ा

तलाके रजई

वाजेह अल्फाज के जरिया बीवी को एक या दो तलाक दे दी जाये। मसलन शौहर ने बीवी से कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दी। यह वह तलाक है जिससे निकाह फौरन नहीं टूटता बल्कि इद्दत पूरी होने तक बाकी रहता है। इद्दत के दौरान मर्द जब चाहे तलाकसे रुजू करके औरत को फिर से बेगैर किसी निकाह के बीवी बना सकता है। याद रहे कि शरअन रजअत के लिए बीवी की रजामंदी ज़रूरी नहीं है।

तलाके बायन

ऐसे अल्फाज के जरिया जो सराहतन तलाक के मानी पर दलालत करने वाले न हों। जैसे किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि तु अपने मैके चली जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। इस तरह के अल्फाज से तलाक उसी वक्त वाके होगी जबकि शौहर ने इन अल्फाज के जरिया तलाक देने का इरादा किया हो वरना नहीं। इन अल्फाज के जरिया तलाके बायन पड़ती है। यानी निकाह फौरन खत्म हो जाता है, अब निकाह करके ही दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हो सकते हैं।

तलाके मुगल्लजा

एक साथ या अलग अलग तौर पर तीन तलाक देना तलाके मुगल्लजा (सख्त) है। ख्वाह एक ही मजलिस में हों या एक ही पकि

में दी गई हों। ऐसी सूरत में न तो मर्द को रुजू का हक़ हासिल है और न ही दोनों मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं, मगर यह कि औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे शख्स से बाकायदा निकाह करे ओर दोनों ने सोहबत भी की हो फिर या तो दूसरे शौहर का इंतिकाल हो जाये या दूसरा शौहर अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे तो फिर यह औरत दूसरे शौहर की तलाक या मौत की इद्दत के बाद पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। इसको अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में इसी तरह ब्यान फरमाया है। "फिर अगरशौहर (तीसरी) तलाक दे दे तो वह औरत उसके लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वह किसी और शौहर से निकाह न करे। हाँ! अगर (दूसरा शौहर भी) उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वह एक दूसरे के पास (नया निकाह करके) दोबारा वापस आ जायें, बशर्ते कि उन्हें यह गालिब गुमान हो कि वह अब अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे। इसी को हलाला कहा जाता है। जिसका जिक्र कुरान करीम में है। इसके सही होने के लिए चन्द शर्तें हैं। सब निकाह सही तरीका से मुंअकिद हुआ हो। दूसरे शौहर ने हमबिस्तरी भी की हो। दूसरा शौहर अपनी मर्जी से तलाक दे या वफात पा जाये और दूसरी इद्दत भी गुजर गई हो। हलाला के लिए मशरूत निकाह करना हराम है।

एक साथ तीन तलाक

तलाके रजई और तलाके बायन की शकलो में आम तौर पर इख्तेलाफ नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स ने बुरे तरीके से तलाक के सही तरीका को छोड़ कर गैर मशरू तौर पर तलाक दे दी जैसे तीन तलाकें औरत की नापाकी के दिनों में दे दीं या एक हीपाकी में

अलग अलग वक्त में तीन तलाकें दे दीं या अलग अलग तीन तलाकें ऐसे तीन पाकी के दिनों में दी जिसमें कोई सोहबत कीहो, या एक ही वक्त में तीन तलाक दे दे तो ऊपर की तमाम सूरतों में तीन ही तलाके पड़ने पर पूरी उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है सिवाये एक सूरत के, कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में तीन तलाके दे दे तो क्या एक वाके होगी या तीन? जमहूर फुकहा व उलमा की राय के मुताबिक तीन तलाक वाके होंगी। फुकहा सहाबा-ए-किराम हज़रत उमर फारूक, हज़रत उसमान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हुम तीन ही तलाक पड़ने के कायल थे। नीज़ चारों इमाम (इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफइ और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम) की मुत्तफक अलैह राय भी यही है कि एक मजलिस में तीन तलाक देने पर तीन ही वाके होगी, हिन्द, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के उलमा की भी यही राय है। 1393 हिजरी में सउदी अरब के बड़े बड़े उलमा की अक्सरियत ने बहस व मुबाहसा के बाद कुरान व हदीस की रौशनी में सहाबा, ताबेईन और तबेताबेईन के अकवाल को सामने रख कर यही फैसला किया था कि एक वक्त में दी गई तीन तलाके तीन ही शुमार होंगी। सिर्फ उलमा की एक छोटी सी जमाअत यानी अहले हदीस (गैर मुकल्लिदीन) की राय है कि एक वाके होगी। उन हज़रात ने जिन दलाएल को बुन्यािद बना कर एक मजलिस में तीन तलाक देने पर एक वाके होने का फैसला फरमाया है जमहूर फुकहा व उलमा व मुहद्दिसीन ने उनको गैर मोतबर करार दिया है।

लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान व हदीस की रौशनी में चौदह सौ (1400) साल से उम्मते मुस्लिमा की बहुत बड़ी तादाद इसी बात पर मुत्तफिक है कि एक मजलिस की तीन तलाकें तीन ही शुमार की जायेंगी, लिहाजा अगर किसी शख्स ने एक मजलिस में तीन तलाकें दे दीं तो इख्तियारे रजअत खत्म हो जायेगा नीज़ मियाँ बीवी अगर आपस में रजामंदी से भी दोबारा निकाह करना चाहें तो यह निकाह दुरुस्त और हलाल नहीं होगा यहां तक कि यह औरत तलाक की इद्दत गुजारने के बाद दूसरे मर्द से निकाह करे, दूसरे शौहर के साथ रहे, दोनों एक दूसरे से सोहबत करें। फिर अगर इत्तिफाक से यह दूसरा शौहर भी तलाक दे दे या वफात पा जाये तो इसकी इद्दत पूरी करने के बाद पहले शौहर से निकाह हो सकता है। यही वह जायज़ हलाला है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के जमाना खिलाफत में एक मजलिस में तीन तलाकें देने पर बहुत से जगहों पर बाकायेदा तौर पर तीन ही तलाक का फैसला सादिर किया जाता रहा, किसी एक सहाबी का कोई इख्तेलाफ भी किताबों में मज़कूर नहीं है। लिहाजा कुरान व हदीस की रौशनी में जम्हूर फुकहा खास कर (इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफइ और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम) और उनके तमाम शागिर्दों की मुत्तफक अलैह राय भी यही है कि एक मजलिस में तीन तलाक देने पर तीन ही वाके होगी। मजमून की तिवालत से बचने के लिए दलाएल पर बहस नहीं की है, लेकिन मेरे दूसरे मजमून (तीन तलाक का मसइला) और सउदी अरब के उलमा के फैसला में तमाम दलाएल पर तफसीली बहस की गई है।

इद्दत, हुकुमे इलाही

इद्दत के लुगवी मानी शुमार करने के हैं, जबकि शरई इस्तिलाह में इद्दत उस मुअय्यन मुद्दत को कहते हैं जिसमें शौहर की मौत या तलाक या खुला की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अलाहिदा होने पर औरत के लिए बाज़ शरई अहकामात की पाबन्दी लाज़िम हो जाती है। औरत के फितरी अहवाल के इख्तेलाफ की वजह से इद्दत की मुद्दत मुख्तलिफ होती है। कुरान व सुन्नत की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है कि शौहर की मौत या तलाक या खुला की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाएगी होने पर औरत के लिए इद्दत वाजिब (फर्ज) है। इद्दत दो सूरतों से वाजिब होती है।

इद्दत शौहर की मौत की वजह से

अगर शौहर के इंतिकाल के वक्त बीवी हामला है तो बच्चा पैदा होने तक इद्दत रहेगी, ख्वाह उसका वक्त चार माह और दस दिन से कम हो या ज़्यादा, जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "हामला औरतों की इद्दत उनके बच्चा पैदा होने तक है। इस आयत के जाहिर से यही मालूम होता है कि हर हामला औरत की इद्दत यही है ख्वाह वह तलाक याफ्ता हो या बेवा, जैसा कि अहादीस की किताबों (किताबुत तलाक) में वजाहत मौजूद है। हमल न होने की सूरत में शौहर के इंतिकाल की वजह से इद्दत चार माह और दस दिन की होगी ख्वाह औरत को माहवारी आती हो या नहीं, खलवते सहीहा (सोहबत) हुई हो या नहीं जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "तुम में से जो लोग फौत हो जायें और बीवियाँ छोड़ जाये तो वह औरतें अपने आपेक चार माह और दस दिन इद्दत में रखें। (सूरह बकरा 234)

इद्दत तलाक या खुला की वजह से

अगर तलाक या खुला के वक्त बीवी हामला है तो बच्चा होने तक इद्दत रहेगी ख्वाह तीन माह से कम मुद्दत में ही विलादत हो जाये। जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "हामला औरतों की इद्दत उनके बच्चा पैदा होने तक है (सूरह तलाक 4)। अगर शौहर के इंतिकाल या तलाक के कुद दिनों बाद हमल का इल्म हो तो इद्दत बच्चा पैदा होने तक रहेगी ख्वाह यह मुद्दत नौ महीने से कम ही क्यों न हो। अगर तलाक या खुला के वक्त औरत हामला नहीं है तो माहवारी आने वाली औरत के इद्दत तीन हैज़ रहेगी। जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "मुतल्लाका औरतें अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें (सूरह बकरा 228)। तीसरी माहवारी खत्म होने के बाद इद्दत पूरी होगी। औरतों के अहवाल की वजह से यह इद्दत तीन माह से ज़्यादा या तीन माह से कम भी हो सकती है।

जिन औरतों को उम्र ज़्यादा होने की वजह से हैज़ आना बन्द हो गया हो जिन्हें हैज़ आना शुरू ही न हुआ हो तो तलाक की सूरत में उनकी इद्दत तीन महीने होगी। जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुम उनकी इद्दत की ताईन में शुब्हा हो रहा है तो उनकी इद्दत तीन माह है और इसी तरह जिन औरतों को हैज़ आया ही नहीं है उनकी इद्दत भी तीन माह है (सूरह तलाक 4)।

निकाह के बाद लेकिन खलवते सहीहा (सोहबत) से पहले अगर किसी औरत को तलाक दे दी जाये तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया

“ऐ ईमान वालो! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने (यानी सोहबत करने) से पहले ही तलाक दे दो तो उन औरतों पर तुम्हारा कोई हक इद्दत का नहीं है जिसे तुम शुमार करो (सूरह अहजाब 49)। यानी खलवते सहीहा से पहले तलाक की सूरत में औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है। लेकिन खलवते सहीहा (सोहबत) से पहले शौहर के इंतिकाल की सूरत में औरत के लिए इद्दत है। सूरह बकरा की आयत 234 के आम व दूसरे अहादीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा इसपर मुत्तफिक है। निकाह के बाद लेकिन खलवते सहीहा से पहले तलाक देने की सूरत में आधे महर की अदाएगी करनी होगी। (सूरह बकरा 237)

इद्दत की मसलेहतें

इद्दत की बहुत सी दुनियावी और उखरवी मसलेहतें हैं। जिनमें से बाज़ यह हैं।

(1) इद्दत से अल्लाह तआला की रजामंदी का हुसूल होता है क्योंकि अल्लाह तआला के हुकुम को बजालाना इबादत है और इबादत से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है।

(2) इद्दत को वाजिब करार देने की अहम मसलेहत इस बात का यकीन हासिल करना है ताकि पहले शौहर का कोई भी असर बच्चा दानी में न रहे और बच्चे के नसब में कोई शुब्हा बाकी न रहे।

(3) निकाह चूंकि अल्लाह तआला की एक अजीम नेमत है इसलिए इसके जवाल पर इद्दत वाजिब करार दी गई।

(4) निकाह के बुलन्द व बाला मक़सद की मारफत के लिए इद्दत वाजिब करार दी गई ताकि इंसान इसको बच्चों का खेल न बनाले।

(5) शौहर के इंतिकाल की वजह से घर, खान्दान में जो एक खला पैदा हुआ है उसकी याद कुछ मुद्दत तक बाकी रखने की गर्ज से औरत के लिए इद्दत जरूरी करार दी गई।

मुतफर्रिक (जुदा जुदा) मसाइल

शौहर की वफात या तलाक देने से इद्दत शुरू हो जाती है ख्वाह औरत को शौहर के इंतिकाल या तलाक की खबर बाद में पहुंची हो। मुतल्लका या बेवा औरत को इद्दत के दौरान बिला किसी मजबूरी के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी वजह से शौहर के घर इद्दत गुजारना मुश्किल हो तो औरत अपने मैके या किसी दूसरे घर में भी इद्दत गुजार सकती है (सूरह तलाक 1)। औरत के लिए इद्दत के दौरान दूसरी शादी करना जायज़ नहीं है, अलबत्ता रिशता का पैगाम औरत को इशारतन दिया जा सकता है (सूरह बकरा 234-235)। जिस औरत के शौहर का इंतिकाल हो जाये तो उसको इद्दत के दौरान खुशबु लगाना, सिंघार करना, सुरमा और खुशबु का तेल बेगैर किसी जरूरत लगाना, मेंहदी लगाना और ज़्यादा चमक दमक वाले कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है। अगर चांद की पहली तारीख को शौहर का इंतिकाल हुआ है तब तो यह महीने ख्वाह 30 के हों या 29 के हों चांद के हिसाब से पूरे किये जाएंगे और 11 तारीख को इद्दत खत्म हो जायेगी। अगर पहली तारीख के इलावा किसी दूसरी तारीख में शौहर का इंतिकाल हुआ है तो 130 दिन इद्दत रहेगी। उलमा की दूसरी राय यह है कि जिस तारीख में इंतिकाल हुआ है उस तारीख से चार माह के बाद 10 दिन बढ़ा दिए जायें मसलन 15 मुहर्रम को इंतिकाल हुआ है तो 26 जमादिल अव्वल को इद्दत खत्म हो जायेगी। अगर औरत शौहर के इंतिकाल या तलाक की

सूरत में इद्दत न करे या इद्दत तो शुरू की मगर पूरी न की तो वह अल्लाह तआला के बनाये हुए कानून को तोड़ने वाली कहलाएगी जो बड़ा गुनाह है, लिहाजा अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार करके ऐसी औरत के लिए इद्दत को पूरा करना जरूरी है। इद्दत के दौरान औरत के पूरे नान व नफका का जिम्मेदार शौहर ही होगा।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को “अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी” यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुसूसी तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज़्ज़े मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR